

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के वित्त का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.1** राज्य सरकार के वित्त लेखे की संरचना और खाके को प्रस्तुत करता है। **परिशिष्ट-1.2 (भाग अ)** राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्यपद्धति की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है।

8 अगस्त 2018 को सचिव, वित्त विभाग के साथ एक प्रवेश गोष्ठी आयोजित की गयी और 19 दिसम्बर 2018 को एक बहिर्गमन गोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। सरकार की प्रतिक्रियाओं को उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तराखण्ड, भारत सरकार (भा स) द्वारा राज्यों के संवर्गीकरण पर आधारित विशेष श्रेणी राज्य (विश्रे रा) है। उत्तराखण्ड को प्राप्त विशेषाधिकारों में भा स द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता भी सम्मिलित है जिसमें 90 प्रतिशत अनुदान एवं 10 प्रतिशत ऋण का अनुपात होता है जो गैर-विशेष श्रेणी राज्यों से भिन्न है जिन्हें केन्द्रीय सहायता 30 प्रतिशत अनुदान एवं 70 प्रतिशत ऋण के रूप में प्राप्त होती है।

राज्य में बीते दशक में उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि हुई तथा वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक की अवधि के लिए इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ (स रा घ उ) तथा प्रति व्यक्ति स रा घ उ में प्रचलित दरों पर मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर), विशेष श्रेणी राज्य के मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सी ए जी आर) 14.60 प्रतिशत तथा 13.30 प्रतिशत के सापेक्ष 16.30 प्रतिशत तथा 14.70 प्रतिशत क्रमशः अधिक रही। इसके अलावा, उत्तराखण्ड राज्य का प्रति व्यक्ति स रा घ उ सीएजीआर (14.70 प्रतिशत) अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति स रा घ उ सीएजीआर (11.50 प्रतिशत) से काफी ऊपर था।

सामाजिक संकेतक यथा साक्षरता और नवजात शिशु मृत्यु दर ने दर्शाया कि राज्य में अखिल भारतीय औसत से बेहतर साक्षरता किन्तु उच्च शिशु मृत्यु दर है। राज्य में गरीबी रेखा से नीचे (बी पी एल) जनसंख्या अखिल भारतीय औसत से काफी कम थी (**परिशिष्ट-1**)।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) तथा राज्य के स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि की प्रचलित दरों पर प्रवृत्ति नीचे तालिका-1.1 में प्रदर्शित है:

¹ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका-1.1: प्रचलित एवं स्थिर दरों पर स घ उ और स रा घ उ की वार्षिक वृद्धि दर


वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17*	2017-18*
प्रचलित दर					
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	1,49,074	1,61,439	1,75,772	1,95,606	2,17,609
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	13.27	8.29	8.88	11.28	11.25
स्थिर दर (आधार वर्ष - 2011-12)					
भारत का स घ उ (₹ करोड़ में)	98,01,370	1,05,27,674	1,13,86,145	1,21,96,006	1,30,10,843
स घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	6.39	7.41	8.15	7.11	6.68
राज्य का स रा घ उ (₹ करोड़ में)	1,34,182	1,41,278	1,51,901	1,62,451	1,73,444
स रा घ उ की वृद्धि दर (प्रतिशतता)	8.5	5.3	7.5	6.9	6.8

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय एवं निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी, उत्तराखण्ड शासन।

* अंतिम * त्वरित * अग्रिम प्राक्कलन।

स रा घ उ की वृद्धि दर वर्ष 2013-14 में 13.27 प्रतिशत से 2014-15 में 8.29 प्रतिशत तक तेजी से गिरी। तथापि, वर्ष 2015-16 से वृद्धि दर में सुधार हुआ यद्यपि 2017-18 में मामूली गिरावट थी। स रा घ उ की वृद्धि दर वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान अखिल भारतीय वृद्धि दर की तुलना में कम थी जिसने 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान सुधार प्रदर्शित किया।

चार्ट-1.1: राष्ट्रीय औसत के सापेक्ष उत्तराखण्ड की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय की तुलना



स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखण्ड 2019।


राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन (एफ आर बी एम) अधिनियम, 2005 जो कि तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) की सिफारिश पर 2011 में संशोधित किया गया, चौदहवें वित्त आयोग (चौ वि आ) (परिशिष्ट-1.2 भाग ब) की सिफारिशों के आधार पर दिसम्बर 2016 में पुनः संशोधित किया गया। चौ वि आ द्वारा संस्तुत लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य का राजकोषीय प्रदर्शन प्रस्तर 1.1.2 में

वर्णित है। 8 जून 2017 को तैयार मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण (एम टी एफ पी एस) के माध्यम से राज्य के स्वयं के राजकोषीय सुधार पथ (एफ सी पी) के आऊटकम इंडिकेटर्स भी **परिशिष्ट-1.2 (भाग ब)** में दिए गए हैं।

1.1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन- देन का सार

सरकारी वित्त में समान्यतः निम्नलिखित शामिल होते हैं:

चार्ट-1.2: सरकारी लेखे की संरचना



स्रोत: बजट मैन्युअल पर आधारित।

तालिका-1.2, गत वर्ष (2016-17) के सापेक्ष चालू वर्ष (2017-18) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सार प्रस्तुत करती है। **परिशिष्ट-1.4 (भाग-अ)** गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों एवं संवितरणों के विवरण उपलब्ध कराता है।

तालिका-1.2: चालू वर्ष के राजकोषीय संचालनों का सार

(₹ करोड़ में)


प्राप्तियाँ	2016-17	2017-18	संवितरण	2016-17	2017-18
भाग-अ: राजस्व					
स्वयं के कर राजस्व	10,897.31	10,164.93	सामान्य सेवाएँ	9,934.09	12,408.50
करेत्तर राजस्व	1,345.82	1,769.53	सामाजिक सेवाएँ	10,528.57	10,929.44
संघीय करों/शुल्कों का अंश	6,411.57	7,084.91	आर्थिक सेवाएँ	3,902.66	4,276.21
भारत सरकार से अनुदान	6,234.27	8,085.20	सहायता अनुदान और अंशदान	906.18	1,468.54
राजस्व प्राप्तियाँ	24,888.97	27,104.57	राजस्व व्यय	25,271.50	29,082.69
भाग-ब: पूँजीगत और अन्य					
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	--	पूँजीगत परिव्यय	4,954.22	5,914.37
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	34.85	33.50	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	165.05	76.83
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	6,500.67	7,526.08	लोक ऋणों का पुनर्भुगतान*	1,127.40	1,720.72
आकस्मिकता निधि से विनियोग	--	--	आकस्मिकता निधि को विनियोग	--	(-)250.00
आकस्मिकता निधि	394.77	104.66	आकस्मिकता निधि	227.70	481.50
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	27,855.02	37,571.25	लोक लेखा संवितरण#	26,607.34	35,366.30
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	1,464.88\$	2,785.95	अंतिम रोकड़ शेष	2,785.95	2,733.60
योग	61,139.16	75,126.01	योग	61,139.16	75,126.01

* इसमें अर्थापय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट के अधीन निवल लेनदेन शामिल नहीं हैं।

अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के अन्तिम आँकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गये हैं। अन्य स्थानों पर लोक लेखा प्राप्तियों के निवल आँकड़े राज्य के स्रोतों का विश्लेषण करने के लिए लिखे गए हैं।

\$ वित्तीय लेखाओं 2016-17 प्रोफार्मा सुधार के कारण 2015-16 के अंतिम शेष से भिन्न।

2017-18 के दौरान राज्य की समेकित निधि के संसाधनों एवं निधियों के उपयोग की संरचना चार्ट-1.3 और चार्ट-1.4 में दी गई है:



स्रोत: वित्त लेखे।

पिछले वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में राज्य वित्त के प्रमुख घटकों (चार्ट-1.3 और चार्ट 1.4) की तुलना संक्षेप में नीचे दी गई है:

तालिका-1.3: विभिन्न घटकों का सुधरना / खराब होना

सकारात्मक संकेतक	मापदंड जिनकी सूक्ष्म निगरानी आवश्यक है
<ul style="list-style-type: none"> करेत्तर राजस्व में 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूँजीगत व्यय में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लोक ऋण का पुनर्भुगतान में 53 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 	<ul style="list-style-type: none"> स्वयं-कर में 7 प्रतिशत की कमी हुई। ऋण और अग्रिम की वसूली में 4 प्रतिशत की कमी हुई। लोक ऋण प्राप्तियों में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व व्यय में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

स्रोत: वित्त लेखे।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

बजट में प्रावधानित मुख्य राजकोषीय चर और चौ वि आ की संस्तुतियाँ तालिका-1.4 में दी गयी हैं। राज्य सरकार द्वारा चौ वि आ की संस्तुतियों के आधार पर एफ आर बी एम अधिनियम में संशोधन (दिसम्बर 2016) किया गया एवं लक्ष्यों को निर्धारित किया गया।

तालिका-1.4: राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय चर	2017-18						
	चौ वि आ द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट में प्रस्तावित लक्ष्य	एम टी एफ पी एस में प्रक्षेपण	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत भिन्नता		
					चौ वि आ के निर्धारित लक्ष्य	बजट के लक्ष्य	एम टी एफ पी एस प्रक्षेपण
राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)(₹ करोड़ में)	शून्य	42.25	38.28	(-),1,978.12	अगणनीय	(-),4,781.94	(-) 5,267.50
राजकोषीय घाटा / स रा घ उ (प्रतिशत में)	3.25	2.50	2.49	3.65	(+) 12.31	(+) 46	(+) 46.59
सरकार के कुल बकाया ऋण का स रा घ उ से अनुपात (प्रतिशत में)	22.60	21.49	24.12	23.82	(+) 5.40	(-) 10.84	(-)1.24

* राजस्व घाटे के लिए चौ वि आ एवं एफ आर बी एम, अधिनियम द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।


राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 पारित होने के समय से राज्य सरकार राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की ओर अग्रसर है। वर्ष 2012-14 के दौरान, राज्य सरकार राजस्व आधिक्य अनुरक्षित करने में सफल रही। 2014-15 के दौरान, राजस्व आधिक्य राजस्व घाटे (₹ 917 करोड़) में बदल गया और वर्ष 2015-16 (₹ 1,852 करोड़) में भी जारी रहा। वर्ष 2016-17 के दौरान, राज्य राजस्व घाटे में तेजी से कमी (₹ 383 करोड़) करने में सक्षम रहा था।

तथापि, चालू वर्ष के दौरान, राजस्व घाटे में एक बार पुनः वृद्धि ₹ 1,978.12 करोड़ (स रा घ उ का 0.91 प्रतिशत) की हुई। वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटा स रा घ उ का 3.65 प्रतिशत रहा जो कि चौ वि आ के मापदण्ड 3.25 प्रतिशत से अधिक रहा और बकाया राजकोषीय दायित्व का स रा घ उ से अनुपात 23.82 प्रतिशत रहा जो कि चौ वि आ के मापदण्ड 22.60 प्रतिशत से अधिक था।

1.1.3 बजट आंकलन एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज विशेष राजकोषीय वर्ष के राजस्व और व्यय के प्रक्षेपों या आंकलनों का विवरण उपलब्ध कराता है। राजस्व और व्यय के प्राक्कलनों की परिशुद्धता की महत्ता राजकोषीय नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के सन्दर्भ में सर्वमान्य है। बजट आंकलनों (ब आं) से भिन्नता विविध कारणों से, जिनमें से कुछ सरकार के नियंत्रण में जबकि अन्य जो नियंत्रण से बाहर हैं, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों के न पाने और अनुकूलतम स्तर न पाने का संकेतक है। वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न संघटकों के सन्दर्भ में बजट आंकलन के सापेक्ष वास्तविकों को नीचे प्रदर्शित किया गया है:

चार्ट-1.5: वर्ष 2017-18 के बजट आंकलन एवं वास्तविक



स्रोत: बजट आंकलन एवं वित्त लेखों

उपरोक्त चार्ट-1.5 से यह स्पष्ट है कि :


- मुख्यतः कर राजस्व ₹ 3,615 करोड़ (26.23 प्रतिशत) और करेत्तर राजस्व ₹ 699 करोड़ (28.31 प्रतिशत) की वसूली में कमी के कारण समग्र राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 4,488 करोड़ (14.21 प्रतिशत) से कम थी।
- राज्य सरकार वर्ष 2017-18 में राजस्व व्यय प्रतिबंधित करने में काफी हद तक सफल रही और

यह चालू वर्ष के लिए ब आं से ₹ 2,468 करोड़ (7.82 प्रतिशत) कम रहा।

- राज्य के पूँजीगत व्यय के रूप में ₹ 5,514 करोड़ का बजटीय अनुमान अपर्याप्त साबित हुआ, क्योंकि राज्य का पूँजीगत व्यय ₹ 5,914 करोड़ होने के कारण बजट अनुमान ₹ 400 करोड़ (7.25 प्रतिशत) से बढ़ गया।
- वर्ष 2017-18 में बजट आंकलन में निर्धारित ₹ 42 करोड़ के राजस्व आधिक्य की अपेक्षा ₹ 1,978 करोड़ के राजस्व घाटे पर समाप्त हुआ।
- बजट अनुमान से राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा क्रमशः ₹ 2,464 करोड़ और ₹ 2,887 करोड़ बढ़ जाने के कारण राज्य द्वारा राजकोषीय घाटा (₹ 5,471 करोड़) तथा प्राथमिक घाटे (₹ 1,061 करोड़) का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

यह इंगित करता है कि समस्त मापदण्डों में लक्ष्य की प्राप्ति में कमी रही।

1.2 राज्य की प्राप्तियाँ




स्रोत: वित्त लेखे, * इसमें अर्थापाय अग्रिम शामिल नहीं हैं।

*निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 2,205 करोड़) = लोक लेखा प्राप्तियाँ (₹ 37,571 करोड़) - लोक लेखा संवितरण (₹ 35,366 करोड़)।


1.2.1 राज्य की प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संरचना

राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ, प्राप्तियों के दो स्रोत हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों को गठित करती हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघीय कर एवं शुल्कों में राज्य का

अंश तथा भारत सरकार (भा स) से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेशों से प्राप्तियाँ, ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं / वाणिज्यिक बैंकों से लिया गया ऋण) से ऋण की प्राप्तियाँ तथा भा स से ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखा में उपलब्ध निधियों के वितरण के बाद बची निधियों को सरकार द्वारा अपने राजस्व घाटे को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। **चार्ट-1.6** वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान, राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों का चित्रण एवं चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना को दर्शाता करता है।



*निवल लोक लेखा प्राप्ति = लोक लेखा प्राप्ति - लोक लेखा वितरण।



वर्ष 2017-18 में सरकार की कुल प्राप्तियाँ (आकस्मिकता निधि प्राप्तियों को छोड़कर) वर्ष 2013-14 के ₹ 22,193 करोड़ से ₹ 14,677 करोड़ (66 प्रतिशत) बढ़कर, ₹ 36,870 करोड़ हो गयी। कुल प्राप्ति में से छः प्रतिशत (₹ 2,205 करोड़) निवल लोक लेखे से प्राप्त हुआ जबकि 20 प्रतिशत (₹ 7,560 करोड़) एवं 74 प्रतिशत (₹ 27,105 करोड़) क्रमशः पूँजीगत प्राप्तियों एवं राजस्व प्राप्तियों से प्राप्त हुआ।

गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ नौ प्रतिशत बढ़ गईं। यह मुख्यतः भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 1,851 करोड़ (29.69 प्रतिशत), संघ के कर/शुल्क में राज्यांश के ₹ 673 करोड़ (10.50 प्रतिशत) और करेत्तर राजस्व के ₹ 424 करोड़ (31.50 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुआ। यह वृद्धि राज्य के स्वयं के कर राजस्व प्राप्ति ₹ 732 करोड़ (6.72 प्रतिशत) में कमी के कारण प्रतिभारित हो गया। चालू वर्ष के दौरान कुल प्राप्तियों के संघटकों की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्तियाँ दो प्रतिशत घटीं जबकि निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ पूर्व वर्ष की प्राप्ति से दो प्रतिशत बढ़ीं। (तालिका-1.2 का संदर्भ लें)।

1.2.2 राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियाँ

विगत वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं / कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को सीधे प्रचुर मात्रा में निधियाँ अन्तरित की गयीं। तथापि, केंद्रीय प्रायोजित योजना / अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से संबन्धित सभी सहायता क्रियान्वयन अभिकरणों के स्थान पर राज्य सरकार को देने के भारत सरकार के निर्णय के बाबजूद वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 1001.37 करोड़ (राज्य बजट से बाहर प्रेषित निधि-बिना जाँचे गए आँकड़े) सीधे उत्तराखण्ड राज्य के क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित किए जैसा कि तालिका-1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.5: राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों को अन्तरित निधियों की महत्वपूर्ण धनराशियाँ

क्र. सं.	योजना का नाम	अभिकरण का नाम/अभिकरण का प्रकार	अन्तरित निधियाँ (₹ करोड़ में)
1.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना सी एस	उत्तराखण्ड राज्य रोजगार गारंटी संस्था	508.47
2.	ई-न्यायालय चरण-II	महापंजीयक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय	87.85
3.	केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित राज्य योजना	उत्तराखण्ड सरकार	86.20
4.	डिस्कोम को गैस आधारित विद्युत क्रय हेतु सहायता	उत्तराखण्ड विद्युत निगम लिमिटेड	76.16
5.	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एम पी एल ए डी एस	विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टर	35.00
6.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	उत्तराखण्ड सरकार	31.00
7.	सोलर पावर- गिड इंटरैक्टिव	उत्तराखण्ड नवीनीकरण ऊर्जा विकास एजेन्सी	27.09
8.	विशेष श्रेणी राज्य के लिए राहत (उत्तरी पूर्वी के अलावा)	राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड उत्तराखण्ड	26.94
9.	विषय वस्तु आधारित ट्रिस्ट सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश)	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास बोर्ड	24.11
10.	अन्य (93)	विभिन्न अभिकरण	98.55
योग			1,001.37

स्रोत: वित्त लेखा -परिशिष्ट-VI।।


भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयन अभिकरणों को अंतरित कुल धनराशि ₹ 2,175.18 करोड़ (केंद्रीय निकाय एवं अन्य संस्थान जो राज्य सरकार के परिधि के बाहर हैं को सम्मिलित करते हुए) में से ₹ 1,001.37 करोड़ (46 प्रतिशत) की धनराशि राज्य में क्रियान्वयन अभिकरणों को अवमुक्त की गयी।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे का विवरण-14, सरकार की राजस्व प्राप्तियों का विवरण प्रस्तुत करता है। राजस्व प्राप्तियों में स्वयं राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर अन्तरण तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान सम्मिलित हैं। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि की राजस्व प्राप्तियों की

संरचना और प्रवृत्तियों को परिशिष्ट-1.3 में प्रस्तुत किया गया है तथा चार्ट-1.8 में भी चित्रित किया गया है।

चार्ट-1.8: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



राजस्व प्राप्तियों में 2013-14 से 2017-18 की अवधि में निरंतर वृद्धि देखी गई है। औसतन 11.57 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर के साथ यह 2013-14 में ₹17,321 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 27,105 करोड़ हो गया, जिसमें राज्य का स्वयं का राजस्व, केंद्रीय कर अन्तरण और सहायता अनुदान क्रमशः ₹ 3,262 करोड़ (37.61 प्रतिशत), ₹ 3,512 करोड़ (98.29 प्रतिशत) और ₹ 3,010 करोड़ (59.31 प्रतिशत) उक्त अवधि के दौरान बढ़े। 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 44.03 प्रतिशत राज्य के स्वयं के राजस्व से आया।

2013-14 से 2017-18 तक की अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 47.98 प्रतिशत औसतन योगदान राज्य के स्वयं कर की प्राप्तियों का रहा। स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि को तालिका-1.6 में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका-1.6: स रा घ उ के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियाँ

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राजस्व प्राप्तियाँ (रा प्रा) (₹ करोड़ में)	17,321	20,247	21,234	24,889	27,105
रा प्रा की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.00	16.89	4.87	17.21	8.90
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)	1,49,074	1,61,439	1,75,772	1,95,606	2,17,609
रा प्रा / स रा घ उ (प्रतिशत)	11.62	12.54	12.08	12.72	12.46
उत्प्लावकता अनुपात ²					
स रा घ उ के संदर्भ में राजस्व की उत्प्लावकता	0.75	2.04	0.55	1.53	0.79
स रा घ उ के संदर्भ में राज्य के स्वयं के करों की उत्प्लावकता	1.11	1.61	1.40	1.44	(-)0.60

राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 2013-14 के दौरान 10 प्रतिशत थी। 2014-15 में वृद्धि दर 16.89 प्रतिशत तक बढ़ी परंतु 2015-16 में पुनः तेजी से गिरकर 4.87 प्रतिशत हो गयी। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान यह पुनः तेजी से बढ़कर 17.21 प्रतिशत पर हो गई, परंतु वर्ष 2017-18 में पुनः घटकर 8.90 प्रतिशत हो गयी।

² परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ ग्रहण करें।

राजस्व उत्प्लावकता, जो राजस्व प्राप्तियों तथा स रा घ उ में वृद्धि के प्रत्यक्ष आनुपातिक है, में राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि अनुपात में उतार-चढ़ाव के कारण 2013-14 से 2017-18 के दौरान उतार-चढ़ाव देखा गया। यह, राजस्व प्राप्तियों के वृद्धि दर में कमी जो कि 2014-15 में 16.89 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 4.87 प्रतिशत हुई, के कारण वर्ष 2014-15 में 2.04 से घटकर 2015-16 में 0.55 हो गयी। वर्ष 2016-17 के दौरान राजस्व उत्प्लावकता में 1.53 तक वृद्धि हुई। तथापि, चालू वर्ष के दौरान यह पुनः 0.79 तक घट गयी।

1.3.1 राज्य के अपने संसाधन

चूँकि केन्द्रीय करों तथा सहायता अनुदान में राज्य के अंश का निर्धारण वित्त आयोग की संस्तुतियों पर आधारित होता है, अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का निर्धारण इसके अपने स्रोतों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें निजी कर एवं करेत्तर स्रोतों से प्राप्त राजस्व समाविष्ट हैं। 2017-18 के दौरान राज्य के अपने संसाधनों के सन्दर्भ में चौ वि आ के अनुमानों, बजट अनुमानों और एम टी एफ पी एस अनुमानों के सापेक्ष वास्तविकों को तालिका-1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.7: राज्य के अपने संसाधन: अनुमान के सापेक्ष वास्तविक

(₹ करोड़ में)

राज्य के अपने संसाधन	चौ वि आ अनुमान	बजट आंकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान	वास्तविक	वास्तविक में प्रतिशतता का अन्तर		
					चौ वि आ के अनुमान	बजट आंकलन	एम टी एफ पी एस अनुमान
स्वयं का कर राजस्व	14,487	13,780	13,450	10,165	(-) 29.83	(-) 26.23	(-) 24.42
करेत्तर राजस्व	2,678	2,469	2,477	1,770	(-) 33.91	(-) 28.31	(-) 28.54

जैसा कि तालिका-1.7 में प्रदर्शित है, चौ वि आ, ब आ एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व वर्ष 2017-18 के दौरान क्रमशः ₹ 4,322 करोड़, ₹ 3,615 करोड़ और ₹ 3,285 करोड़ कम रहा।

करेत्तर राजस्व (करे रा), चौ वि आ प्रोजेक्शन, ब आ एवं एम टी एफ पी एस के सापेक्ष क्रमशः ₹ 908 करोड़, ₹ 699 करोड़ और ₹ 707 करोड़ कम था।

संक्षेप में, राज्य बजट और एम टी एफ पी एस में अनुमानित अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सके।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम को लागू किया जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हो गया। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार पाँच साल की अवधि तक राज्यों को करेगी। राज्य को देय क्षतिपूर्ति की गणना अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी, जैसा कि भारत के सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया गया हो। राजस्व

आँकड़े हेतु एक आधार वर्ष (2015-16) जीएसटी अधिनियम के तहत अंतिम रूप दिया गया था। उत्तराखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 4,961.22 करोड़ था। किसी राज्य में किसी भी वर्ष के लिए अनुमानित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (प्रति वर्ष 14 प्रतिशत) को लागू करके की जाएगी।

आधार वर्ष के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2017-18 (1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018) के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 4,835.70 करोड़ था। वर्ष 2017-18 के जीएसटी के अन्तर्गत राजस्व आँकड़ा प्राप्तियों की प्रकृति के अनुसार वित्त लेखों में दर्शाया गया है, अर्थात् राज्य वस्तु एवं सेवा (एसजीएसटी) कर, एसजीएसटी और आईजीएसटी के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रॉस उपयोग, आईजीएसटी का विभाजन और आईजीएसटी से अग्रिम अपरोक्ष। ₹ 4,835.70 करोड़ के अनुमानित राजस्व के विरुद्ध, वर्ष 2017-18 के दौरान जीएसटी के अन्तर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति, ₹ 5,259.37 करोड़ थी, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है।

तालिका-1.8: जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए राज्य के प्रक्षेपित राजस्व के सापेक्ष संग्रहीत पूर्व-जीएसटी एवं एसजीएसटी, आईजीएसटी के अनंतिम आवंटन एवं भारत सरकार से प्राप्त आईजीएसटी की क्षतिपूर्ति (₹ करोड़ में)

माह	संरक्षित किए जाने वाला मासिक राजस्व	पूर्व संग्रहीत जीएसटी कर संग्रह	संग्रहीत एसजीएसटी	आईजीएसटी का अनंतिम विभाजन	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त क्षतिपूर्ति	कमी (-)/ आधिक्य (+)	टिप्पणी
	1	2	3	4	5=(2+3+4)	6	7={1-(5+6)}	8
जुलाई 2017	537.30	644.91	0	0	644.91	0	(-) 107.61	संरक्षित राजस्व की तुलना में क्षतिपूर्ति के घटक को ध्यान में रखते हुए राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त हुआ है।
अगस्त 2017	537.30	237.31	0	0	237.31	0	299.99	
सितम्बर 2017	537.30	152.92	0	(-) 62.56	90.36	0	446.94	
अक्टूबर 2017	537.30	181.52	279.09	(-) 9.87	450.74	223.00	(-) 136.44	
नवम्बर 2017	537.30	162.53	307.25	27.98	497.76	460.00	(-) 420.46	
दिसम्बर 2017	537.30	191.38	263.41	38.10	492.89	0	44.41	
जनवरी 2018	537.30	168.28	268.76	80.07	517.11	183.00	(-) 162.81	
फरवरी 2018	537.30	165.32	273.75	240.05	679.12	0	(-) 141.82	
मार्च 2018	537.30	100.39	257.65	8.13	366.17	417.00	(-) 245.87	
कुल	4,835.70	2,004.56	1,649.91	321.90	3,976.37	1,283.00	(-) 423.67	

आईजीएसटी से अग्रिम विभाजन

भारत सरकार, आई जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को आई जी एस टी का आवंटन करती है। राज्य कर विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भा स) द्वारा अनंतिम/अग्रिम आवंटन के निस्तारण के ₹ 217 करोड़ की स्वीकृति इस शर्त के साथ की है कि अप्रैल 2018 से प्रारम्भ होने वाली दस समान मासिक किस्तों में मासिक रिटर्न के आधार पर आईजीएसटी के नियमित निस्तारण से वर्ष 2018-19 में राशि समायोजित की जायेगी। हालांकि, भा स द्वारा इन ₹ 217 करोड़ को नवंबर-दिसंबर 2017 हेतु राज्य को देय द्विमासिक क्षतिपूर्ति के सापेक्ष समायोजित किया गया। भा स द्वारा इस द्विमासिक हेतु क्षतिपूर्ति अवमुक्त नहीं की गई थी।

1.3.1.1 कर राजस्व

मुख्य करों एवं शुल्कों के सन्दर्भ में सकल संग्रहण तालिका-1.9 में दिया गया है।

तालिका-1.9: राज्य के स्वयं के संसाधनों के घटक

(₹ करोड़ में)


राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री, व्यापार आदि पर कर एवं एस जी एस टी *	4,903 (14)	5,465 (11)	6,105 (12)	7,154 (17)	5,675 (-21)
राज्य आबकारी	1,269 (14)	1,487 (17)	1,735 (17)	1,906 (10)	2,262 (19)
वाहनों पर कर	369 (21)	394 (7)	471 (20)	556 (18)	816 (47)
स्टॉप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	687 (6)	714 (4)	871 (22)	778 (-11)	882 (13)
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	--	--
अन्य कर	128 (133)	279 (118)	195 (-30)	503 (158)	530 (5)
योग	7,356 (15)	8,339 (13)	9,377 (12)	10,897 (16)	10,165 (-7)

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में बढ़त / घटत की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

* एस जी एस टी के आँकड़े 2017-18 में सम्मिलित किए गए हैं।

राज्य का स्वयं का कर राजस्व सात प्रतिशत से घटकर 2016-17 में ₹10,897 करोड़ से 2017-18 में ₹ 10,165 करोड़ हो गया। बिक्री, व्यापार, आदि पर करों से राजस्व जिसमें कर राजस्व का एक बड़ा हिस्सा शामिल है (55.83 प्रतिशत) ने, पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। चालू वर्ष के दौरान, कर, बिक्री, व्यापार आदि के अन्तर्गत कुल संग्रह 21 प्रतिशत घटकर ₹ 7,154 करोड़ से ₹ 5,675 करोड़ हो गया। निम्न राजस्व संग्रहण के कारणों हेतु पारस्परिक रूप से अधिकांश मदों को निम्न कर-दर³ में आने; तथा राज्य में उत्पादित वस्तुओं से कर संग्रहण जो बाहर⁴ जा रहा है जैसा कि उत्तराखण्ड विनिर्माण आधिक्य राज्य है, जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

चार्ट-1.9: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखण्ड के स्वयं के कर राजस्व से स रा घ उ की तुलना




³ जीएसटी से पूर्व, राज्य द्वारा समस्त वस्तुओं पर 5 प्रतिशत एवं 14.5 प्रतिशत कर आरोपित किया जाता था। जीएसटी के पश्चात, राज्य के लिए आरोपणीय कर की दरें 2.5 प्रतिशत, 6 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 14 प्रतिशत हैं। इनमें से अधिकांश मदें 2.5 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत की दरों के अन्तर्गत आते हैं।

⁴ जीएसटी से पूर्व, राज्य में मूल/उत्पादन वाले राज्य में कर संग्रहण किया जाता था बजाये इसके कि वस्तु का उपभोग राज्य में हुआ था या नहीं। परन्तु, जैसा कि उत्तराखण्ड विनिर्माण आधिक्य राज्य है, राज्य में उत्पादित वस्तुओं से संग्रहीत होने वाला समस्त कर बाहर जा रहा है।

उत्तराखण्ड का स्वयं का कर एवं स रा घ उ अनुपात हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड का मातृ राज्य) के अनुपात से कम है। यह अनुपात हरियाणा और पंजाब राज्यों से भी कम होता है।

1.3.1.2 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व और उसके घटकों की प्रवृत्ति चार्ट-1.10 में दी गई है।



चालू वर्ष के दौरान करेत्तर राजस्व में ₹ 423.71 करोड़ (31.48 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो मुख्यतः ऊर्जा (₹ 156.13 करोड़; 120.03 प्रतिशत), अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 104.64 करोड़; 31.22 प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (₹ 104.66 करोड़; 269.05 प्रतिशत) और शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 26 करोड़; 31.39 प्रतिशत) के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान करेत्तर प्राप्तियों में अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग (₹ 439.81 करोड़; 24.85 प्रतिशत), वानिकी एवं वन्य जीव (₹ 312.20 करोड़; 17.64 प्रतिशत), ऊर्जा (₹ 286.21 करोड़; 16.17 प्रतिशत) एवं अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (₹ 143.56 करोड़; 8.11 प्रतिशत) का मुख्य योगदान रहा।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता अनुदान

भा स से 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान तालिका-1.10 में प्रदर्शित है।

तालिका-1.10: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आयोजनेत्तर अनुदान	981	944	1,043	824	714
राज्य योजना के लिए अनुदान	3,558	4,083	1,173	1,532	1,621
केन्द्रीय योजना के लिए अनुदान	13	99	609	843	76
केन्द्रीय सहायित योजना के लिए अनुदान	523	1,879	2,479	3,035	4,391
राज्य को अन्य अनुदान (जी एस टी क्षतिपूर्ति)	--	--	--	--	1,283
योग	5,075	7,005	5,304	6,234	8,085
गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशतता वृद्धि / कमी	14	38	(-)24	18	30
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता	29	35	25	25	30

भा स से सहायता अनुदान 2013-14 में ₹5,075 करोड़ से 2014-15 में बढ़कर ₹ 7,005 करोड़ (38.03 प्रतिशत) हो गया, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में 2015-16 के दौरान यह ₹ 1,701 करोड़ (24.28 प्रतिशत) से घट गया। पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 और 2017-18 में, भा स से अनुदान प्राप्तियों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ क्रमशः ₹ 930 करोड़ (17.53 प्रतिशत) और ₹ 1,851 करोड़ (29.69 प्रतिशत) बढ़ीं। 2017-18 में वृद्धि को राज्य में जीएसटी (01 जुलाई 2017 से प्रभावी) लागू होने के बाद राजस्व के नुकसान के बदले प्राप्त ₹ 1,283 करोड़ की क्षतिपूर्ति और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान के विचलन में वृद्धि (₹ 89 करोड़) एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं (₹ 1,356 करोड़) को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

1.3.3 केन्द्रीय कर अन्तरण

चौ वि आ ने सिफारिश की थी कि केन्द्रीय करों में राज्यांश 2015-16 से 42 प्रतिशत कर दी जाए। फलस्वरूप, केन्द्रीय करों (सेवा कर को छोड़कर) की शुद्ध निवल आय में राज्यांश 1.05 प्रतिशत पर तय किया गया है।

तालिका-1.11: केन्द्रीय कर के राज्यांशों के विभिन्न घटकों का हस्तांतरण

संघ कर में राज्य के हिस्से का घटक	चौ वि आ की अवधि			2016-17 की तुलना में 2017-18 में वृद्धि / कमी	
	2015-16	2016-17	2017-18	राशि	प्रतिशत में
निगम कर	1,677.14	2,056.02	2,169.91	113.89	5.54
सीमा शुल्क	854.57	884.42	715.10	-169.32	-19.14
आयकर	1,162.76	1,428.94	1,832.34	403.40	28.23
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	4.15	0.02	0	-0.02	-100.00
सेवा कर	919.96	1,027.52	804.25	-223.27	-21.73
संपत्ति कर	0.43	4.71	-0.07	-4.78	-101.49
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	714.15	1,009.94	747.50	-262.44	-25.99
सीजीएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं	100.52	100.52	लागू नहीं
आईजीएसटी	लागू नहीं	लागू नहीं	715.36	715.36	लागू नहीं
कुल योग	5,333.16	6,411.57	7,084.91	673.34	10.50
राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में हस्तांतरण	25.12	25.76	26.14		
लागू नहीं: 1 जुलाई 2017 से जीएसटी अधिनियम के लागू होने के कारण लागू नहीं है।					

स्रोत: वित्त लेख।

जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है, पिछले तीन वर्षों में राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में हस्तांतरण बढ़ रहा है।

1.3.4 चौदहवें वित्त आयोग के अनुदानों का सदुपयोग

चौ वि आ ने दिसम्बर 2014 में 1 अप्रैल 2015 से प्रारम्भ पाँच वर्षों की अवधि को समाविष्ट करते हुए अपनी आख्या प्रस्तुत की। भारत सरकार ने चौ वि आ की सिफारिशों पर राज्य सरकार को ₹ 3,855.50 करोड़ का अनुदान स्थानीय निकायों तथा आपदा राहत निधि को 2015-16 से 2019-20 के दौरान उपभोग करने के लिए आवंटित किया। भारत सरकार द्वारा 2017-18 के दौरान अवमुक्त एवं राज्य सरकार द्वारा आगे हस्तांतरण की स्थिति तालिका-1.12 में दर्शायी गयी है।

तालिका-1.12: अनुदान का संस्तुत हस्तांतरण एवं वास्तविक अवमुक्ति

(₹ करोड़ में)

हस्तांतरण	चौ वि आ की संस्तुति 2015-16 से 2019-20	चौ वि आ की संस्तुति 2017-18	2017-18 के दौरान भा स से वास्तविक अवमुक्त	2017-18 के दौरान राज्य द्वारा किया गया हस्तांतरण
1. स्थानीय निकाय				
(अ) पं रा सं के अनुदान	1,882.68	366.98	325.20	325.20
(i) सामान्य अनुदान	1,694.40	325.20	325.20	325.20
(ii) निष्पादन अनुदान	188.28	41.78	00	00
(ब) न स्था नि के अनुदान	815.82	161.47	107.56	107.56
(i) सामान्य अनुदान	652.65	125.26	107.56	107.56
(ii) निष्पादन अनुदान	163.17	36.21	00	00
योग (1)	2,698.50	528.45	432.76	432.76
2. आपदा राहत निधि	1,157.00	231.00	207.90	231.00*
महायोग	3,855.50	759.45	640.66	663.76

स्रोत: चौ वि आ आख्या एवं वित्त लेखे।

(* ₹ 207.90 करोड़ के केंद्रान्श के साथ ₹ 23.10 करोड़ का राज्यांश भी जारी किया गया।)

चौ वि आ द्वारा स्वीकृत अनुदान में से दो भाग-सामान्य अनुदान एवं निष्पादन अनुदान यथावत ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका को स्वीकृत की गयी। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य को न स्था नि के अन्तर्गत भारत सरकार से अपना पूर्ण अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, पं रा सं और न स्था नि द्वारा किया गया वास्तविक उपयोग भी राज्य के विभाग से प्राप्त नहीं हो पाया।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियाँ या तो गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे सरकारी कम्पनियों / कॉरपोरेशनों में इक्विटी के विनिवेश से प्राप्तियाँ और ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ अथवा ऋण पूँजी प्राप्तियाँ हैं, जो कि समेकित निधि के लोक ऋण भाग में क्रेडिट की जाती हैं। लोक ऋण प्राप्तियाँ विस्तृत रूप में दो श्रेणियों; (अ) संघ सरकार से ऋण/ अग्रिम (ब) बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से नेगोसियेटेड ऋण या राज्य विकास ऋण निर्गमों के माध्यम से खुले बाजार की उधारियों, में विभाजित है। संघ सरकार से ऋणोत्तर पूँजीगत प्राप्तियों एवं ऋणों/ अग्रिमों का हिस्सा नगण्य है और पूँजीगत प्राप्तियाँ मुख्यतः बैंकों, वित्तीय संस्थानों एवं खुले बाजार से उधारियाँ शामिल हैं जैसा कि तालिका-1.13 में वर्णित है।

तालिका-1.13: प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों का स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ प्रा)	4,108	4,754	6,825	6,536	7,560	
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	180	135	--	--	--	
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	55	46	27	35	34	
लोक ऋण प्राप्तियाँ	बाजार ऋण	2,500	2,400	3,900	5,450	6,660
	अन्य आंतरिक संसाधन	1,338	2,112	2,801	905	752
	भारत सरकार से	35	61	97	146	114
	कुल	3,873	4,573	6,798	6,501	7,526
	(94.28)	(96.19)	(99.60)	(99.46)	(99.55)	

कोष्ठकों में आंकड़े कुल का प्रतिशत दर्शाते हैं।

पूँजीगत प्राप्तियाँ, राज्य की ऋण एवं गैर ऋण प्राप्तियों से मिलकर बनी होती है जिसकी औसत वृद्धि दर 2013-14 से 2017-18 तक 18.60 प्रतिशत थी। ऋण प्राप्तियों का पूँजीगत प्राप्तियों में प्रमुख भाग है तथा 2013-14 से 2017-18 के दौरान यह 94.28 से 99.60 प्रतिशत के बीच थी।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ वर्ष 2013-14 के बाद, 2013-14 के ₹ 55 करोड़ से 2015-16 के ₹ 27 करोड़ तक सतत घटी। तथापि, वर्ष 2016-17 के दौरान वसूलियों में (₹ आठ करोड़) की बढ़त देखने को मिली परंतु वर्ष 2017-18 के दौरान इसमें मामूली गिरावट (₹ एक करोड़) आयी।

1.4.2 आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

2013-14 से 2017-18 की अवधि में आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ जैसे बाजार ऋण, वित्तीय संसाधनों से ऋण इत्यादि, सरकार की प्राप्तियों के लगातार मुख्य स्रोत बने रहे। ये 2013-14 से 2017-18 के दौरान ₹ 3,653 करोड़ (94.32 प्रतिशत) बढ़ गया। चालू वर्ष के दौरान ऋण प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,025 करोड़ (15.77 प्रतिशत) से बढ़ी।

बाजार उधारियों में प्रवृत्ति का विवरण प्रस्तर 1.10.1 में है।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण व अग्रिम

उत्तराखण्ड राज्य विशेष श्रेणी राज्य होने के कारण भारत सरकार से सहायता अनुदान एवं ऋण 90:10 के अनुपात में प्राप्त करता है। **भा स से ऋण (₹ 728.58 करोड़) के सन्दर्भ में राज्य सरकार के बकाया दायित्व, कुल लोक ऋण (₹ 41,014.94 करोड़) का केवल 1.78 प्रतिशत है।** वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान भारत सरकार से ऋण और अग्रिम की प्राप्तियाँ तीन गुना से अधिक बढ़कर ₹ 35 करोड़ से ₹114 करोड़ हो गईं। चालू वर्ष के दौरान, यह पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 32 करोड़ (21.92 प्रतिशत) घटी है।

1.5 लोक लेखा प्राप्तियाँ

प्राप्तियाँ एवं वितरण के कतिपय लेन-देनों के सन्दर्भ में यथा लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों, जमाओं, उचन्तो, प्रेषणों इत्यादि जो कि संचित निधि का भाग नहीं होते, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 (2) द्वारा स्थापित लोक लेखा के अधीन रखा जाता है एवं ये राज्य विधायिका द्वारा मत के विषयाधीन नहीं हैं। यहाँ सरकार लोक धन के लिए बैंकर / ट्रस्टी की तरह कार्य करती है। सरकार के पास वितरण के बाद अवशेष निधि उपयोग करने के लिए उपलब्ध होती है। **तालिका-1.14** लोक लेखा के विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत प्राप्तियों तथा वितरणों की प्रवृत्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.14: वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान लोक लेखा प्राप्तियों एवं वितरणों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	लोक लेखा प्राप्ति		लोक लेखा से संवितरण		संवितरण से अधिक प्राप्तियाँ (निवल लोक लेखा प्राप्ति)	
	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,528.82	1,840.79	1,116.13	1,221.32	412.69	619.47
आरक्षित निधियाँ	280.00	232.34	356.63	127.26	(-) 76.63	105.08
जमा एवं अग्रिम	3,276.70	4,727.47	3,412.01	4,008.79	(-) 135.31	718.68
उचन्त एवं विविध	29,078.90	31,936.91	28,028.62	31,206.55	1,050.28	730.36 ⁵
प्रेषण	(-) 6,309.40	(-) 1,166.25	(-) 6,306.05	(-) 1,197.62	(-) 3.35	31.37
योग	27,855.02	37,571.26	26,607.34	35,366.30	1,247.68	2,204.96

निवल लोक लेखे प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से अल्प बचत ,भविष्य निधि तथा जमा और अग्रिमों के तहत शुद्ध संग्रह में वृद्धि के कारण हुई।


1.6 संसाधनों का उपयोग

राजकोषीय दायित्व विधायन ढाँचे के अन्तर्गत राज्य सरकार को व्यय करने का दायित्व प्रदान किया जाता है जबकि इसी समय यह सुनिश्चित किया जाना है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण प्रक्रिया विशेषकर विकासपरक और सामाजिक क्षेत्रों की ओर उन्मुख व्यय की कीमत पर न हो। राज्य में व्यय के आवंटन के विश्लेषण पर चर्चा नीचे की गई है:

1.6.1 व्यय की संरचना एवं वृद्धि

चार्ट-1.11, पाँच वर्षों (2013-14 से 2017-18) की अवधि में कुल व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाता है तथा इनकी संरचनाओं को 'क्रियाकलापबद्ध व्यय' के सन्दर्भ में चार्ट-1.11 में चित्रित किया गया है।

चार्ट-1.11: पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यय की संरचना




⁵ इसमें विभागीय शेष, स्थायी नकदी के अन्तर्गत शेष राशि और नकद शेष निवेश खाते शामिल नहीं हैं।

कुल व्यय (कु व्य) वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान 14.86 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत दर से बढ़ा। पिछले वर्ष की तुलना में 2017-18 के दौरान कुल व्यय में ₹ 4,683 करोड़ (15.41 प्रतिशत) की वृद्धि हुई थी। यह मोटे तौर पर राजस्व व्यय (रा व्य) में ₹ 3,811 करोड़, पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) में ₹ 960 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ था, जो कि ऋण और अग्रिमों के संवितरण में ₹ 88 करोड़ की मामूली कमी के कारण प्रतिभारित हुई थी।

राजस्व व्यय (रा व्य): चालू वर्ष के दौरान रा व्य ₹ 29,083 करोड़ कु व्य (₹ 35,074 करोड़) का 82.92 प्रतिशत था। यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में रा व्य 2017-18 में ₹ 3,811 करोड़ अधिक था, यह कु व्य (₹ 35,074 करोड़) का 82.92 प्रतिशत लेखाबद्ध हुआ जो कि 2016-17 में 83.16 प्रतिशत के संगत आँकड़े की तुलना में कम था। पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान रा व्य में वृद्धि (i) सामान्य सेवाएँ (₹ 2,474 करोड़), जिसमें ₹ 1,863 करोड़ एवं ₹ 264 करोड़ के पेंशन एवं ब्याज भुगतान सम्मिलित थे (ii) सहायता अनुदान एवं अशंदान (₹ 562 करोड़) (ii) सामाजिक सेवाओं (₹ 401 करोड़) तथा (iii) आर्थिक सेवाएँ (₹ 374 करोड़) में व्यय वृद्धि के कारण हुई।

पूँजीगत व्यय (पूँ व्य): कुल पूँ व्य 2013-14 में ₹ 3,712 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 4,217 करोड़, 2016-17 में ₹ 4,954 करोड़, और 2017-18 में ₹ 5,914 करोड़ हो गया। तथापि, कु व्य के प्रतिशत के अनुसार, पूँ व्य 2013-14 में 18.37 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 16.86 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य द्वारा किए गए पूँजीगत व्यय क्रमशः ₹ 400 करोड़ और ₹ 362 करोड़ से ब आं और एम टी एफ पी एस लक्ष्यों को पार कर गए।



कुल व्यय में इन घटकों के सापेक्ष अंश ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान बदलाव की प्रवृत्ति दर्शायी। वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय का भाग औसतन 82.25 प्रतिशत था, जबकि 2014-15 में पूँजीगत व्यय का हिस्सा 18.81 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 16.86 प्रतिशत हो गया। कुल खर्च में ऋण और अग्रिम का हिस्सा भी 2013-14 में 1.38 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 0.22 प्रतिशत हो गया।

1.6.2 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज भुगतान, वेतन और पारिश्रमिक पर व्यय, पेंशन और उपदान शामिल होते हैं। तालिका-1.15 एवं चार्ट- 1.13 वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है:


तालिका-1.15: वचनबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

वचनबद्ध व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18		
					ब आं	वास्तविक	ब आं के सापेक्ष वास्तविक में भिन्नता की प्रतिशतता
वेतन एवं पारिश्रमिक	6,431 (37.13)	7,309 (36.10)	7,848 (36.96)	8,670 (34.83)	11,860	10,496 (38.72)	(-) 11.50
ब्याज भुगतान	2,056 (11.87)	2,406 (11.88)	2,971 (13.99)	3,723 (14.96)	4,410	3,987 (14.71)	(-) 9.59
पेंशन पर व्यय	2,131 (12.30)	2,452 (12.11)	2,628 (12.38)	3,170 (12.74)	4,272	5,033 (18.57)	17.81
उपदान	24 (0.14)	209 (1.03)	211 (0.99)	208 (0.84)	260	186 (0.69)	(-) 28.46
कुल वचनबद्ध व्यय	10,642 (61.44)	12,376 (61.13)	13,658 (64.32)	15,771 (63.37)	20,802	19,702 (72.69)	(-) 5.29
अन्य घटक	5,574 (32.18)	8,788 (43.40)	9,428 (44.40)	9,501 (38.17)	10,749 (34.02)	9,381 (34.61)	(-) 12.73
कुल राजस्व व्यय	16,216	21,164	23,086	25,272	31,551	29,083	(-) 7.82
राजस्व प्राप्तियाँ	17,321	20,247	21,234	24,889	31,593	27,105	(-) 14.21

कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत को इंगित करते हैं।

चार्ट-1.13: राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय



वर्ष 2013-14 में वचनबद्ध व्यय जो राजस्व प्राप्तियों के 61.44 प्रतिशत था, चालू वर्ष के दौरान यह 11.25 प्रतिशतता बिन्दु से बढ़ गया तथा यह राजस्व प्राप्तियों का 72.69 प्रतिशत था।

2013-14 से 2017-18 की अवधि में इसमें ₹ 9,060 करोड़ की वृद्धि हुई। वचनबद्ध व्यय का स्तर अधिक होने के कारण सरकार द्वारा विकास गतिविधियों पर व्यय करने के लिए बहुत कम गुंजाइश है।

वेतन एवं पारिश्रमिक

चालू वर्ष के दौरान वेतन पर व्यय (₹ 10,496 करोड़), रा व्य (₹ 29,083 करोड़) का 36.09 प्रतिशत लेखाबद्ध था। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान वेतन पर व्यय में औसत 12.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन पर वास्तविक व्यय, चालू वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट लक्ष्य (₹ 11,860 करोड़) से काफी नीचे था। तथापि, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के अधिअनुमानित ब आं (12 प्रतिशत) को राजकोषीय सुधारपथ में पूर्णतया सही नहीं किया गया तथा एम टी एफ पी एस (₹ 11,213 करोड़) में अनुमानित प्रक्षेपण भी 2017-18 के वास्तविक आँकड़ों की तुलना में अधिअनुमानित (छ: प्रतिशत) था।

पेंशन भुगतान

वर्ष 2017-18 में पेंशन पर व्यय ₹ 5,033 करोड़ था, जो राजस्व प्राप्तियों का 18.57 प्रतिशत था। चालू वर्ष के दौरान यह विगत वर्ष 2016-17 की अपेक्षा 58.77 प्रतिशत बढ़ा और चौ वि आ द्वारा, चालू वर्ष के लिए ₹ 3,227 करोड़ के मानकीय निर्धारण से 55.97 प्रतिशत अधिक था (चौ वि आ के प्रतिवेदन का अनुलग्नक 7.5)।

राष्ट्रीय पेंशन योजना

राज्य सरकार ने भविष्य में बढ़ते पेंशन दायित्व से पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए 1 अक्टूबर 2005 या उसके बाद भर्ती कर्मचारियों के लिए एक अंशदायी पेंशन योजना भी लागू की है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों द्वारा अंशदान (₹ 308.76 करोड़) और समरूप सरकारी अंशदान (₹ 308.76 करोड़) दोनों धनराशियों ₹ 617.52 करोड़ को मुख्य शीर्ष-8342-117-कर्मचारियों के लिये “मूर्त अंशदान योजना” के अन्तर्गत इंड्राज किया गया है। ₹ 637.05 करोड़ की कुल धनराशि नेशनल सेक्युरिटीज डिपोजीटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) को हस्तांतरित की गयी हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने विरासत अवशेष⁶ ₹ 170.38 करोड़ लोक लेखा के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8342-117 सरकारी कर्मचारियों के लिए “मूर्त अंशदान योजना” के अन्तर्गत इंड्राज किया गया। वर्ष के दौरान, ब्याज की कोई भी धनराशि निधि में जमा नहीं की गई। तथापि, ₹ 19.53 करोड़ एन एस डी एल को हस्तांतरित किये गये तथा ₹ 150.85 करोड़ निधि में शेष रहे। एकत्र न की गयी, मैचिंग न की गयी और अहस्तांतरित धनराशि, अर्जित ब्याज सहित, योजना का अन्तर्गत बकाया देयताओं को दर्शाता है।

⁶ विरासत अवशेष योजना की घोषणा तिथि (1 अक्टूबर 2005) एवं राज्य सरकार द्वारा योजना की सूचना तिथि (31 मार्च 2008) की अवधि के मध्य की धनराशि है।

ब्याज भुगतान

जैसा कि तालिका-1.15 में दर्शित है, 2013-14 से 2017-18 के दौरान, ब्याज भुगतान मुख्यतः पुराने ऋणों के कारण 93.92 प्रतिशत बढ़ा। वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतानों में आन्तरिक ऋणों⁷ (₹ 3,360 करोड़), लघु बचत, भविष्य निधि आदि (₹ 522 करोड़), अन्य देयताएँ (₹ 49 करोड़) और भारत सरकार से लिए हुए ऋणों एवं अग्रिमों (₹ 56 करोड़) पर ब्याज शामिल थे। चौँ वि आ द्वारा निर्धारित 11.63 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान ब्याज भुगतान (₹ 3,987 करोड़) राजस्व प्राप्तियों का 14.71 प्रतिशत था। तथापि, यह राज्य सरकार के बजट एवं एम टी एफ पी एस द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 4,410 करोड़ एवं ₹ 4,179 करोड़ से क्रमशः ₹ 423 करोड़ एवं ₹ 192 करोड़ कम था।

उपदान

उपदान न केवल स्पष्ट रूप से अपितु अनुमानित उपदानित लोक सेवा प्रदान करते हुये लोगों को बाँटा जाता है। अनुमानित उपदानों में वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहयोग, निवेशों पर अपर्याप्त प्राप्ति और सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं प्रदान करने पर उपभोगित कीमत की कम वसूली भी आते हैं।

वित्तीय लेखा, खण्ड-II के परिशिष्ट-II के अनुसार, सरकार द्वारा सीधे तौर पर दिये गये उपदान ₹ 23.63 करोड़ (2013-14), ₹ 208.71 करोड़ (2014-15) ₹ 211.38 करोड़ (2015-16), ₹ 207.99 करोड़ (2016-17) एवं ₹ 185.93 करोड़ (2017-18) थे। कुल राजस्व प्राप्तियों में उपदान का अंश 2013-14 में 0.14 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 0.69 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2017-18 के दौरान दी गयी उपदान की राशि में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 22.06 करोड़ (10.61 प्रतिशत) की कमी देखी गई। 2014-15 से 2017-18 की अवधि में उपदान राशि का मुख्य प्राप्तकर्ता खाद्य भंडारण और भंडारण था।

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को अनुदान द्वारा प्रदत्त सहायता की राशि तालिका-1.16 में प्रस्तुत है।

तालिका-1.16 : स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					ब आं	वास्तविक
शैक्षिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	431.05	714.27	615.73	650.63	526.88	464.93
नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ	321.19	380.17	334.11	397.77	976.05	753.33
जिला परिषद एवं अन्य पंचायती राज संस्थाएँ	347.21	301.10	432.46	508.40	760.90	715.21
विकास अभिकरण	562.37	891.07	828.94	953.33	827.54	546.93
चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ	108.99	335.89	338.94	319.17	457.42	252.98
ऊर्जा (ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत)	6.88	5.11	18.63	18.12	11.98	11.78

⁷ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण	111.16	245.18	270.21	337.78	556.35	476.94
सहकारिता	11.83	4.64	4.12	5.07	6.61	3.73
पशुपालन, दुग्ध विकास तथा मत्स्य पालन	10.43	28.58	27.09	32.00	42.82	38.77
सचिवालय आर्थिक सेवाएँ एवं पर्यटन	49.33	68.80	1.52	30.69	56.09	46.92
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	285.85	412.94	514.86	446.96	405.45	232.65
अन्य संस्थाएँ	80.27	127.67	209.16	150.30	566.87	119.64
योग	2,326.56	3,515.42	3,595.77	3,850.22	5,194.96	3,663.81
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सहायता	14.35	16.61	15.58	15.23	16.47	12.60

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड के वी एल सी ऑफ़िसें

वर्ष 2013-14 में ₹ 2,326.56 करोड़ की तुलना में वर्ष 2017-18 में ₹ 3,663.81 करोड़ के कारण स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों की सहायता में ₹ 1,337.25 करोड़ (57.48 प्रतिशत) की बढ़ोत्तरी हुई। तथापि, चालू वर्ष के दौरान सहायता पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 186.41 करोड़ कम हुई। चालू वर्ष के दौरान शैक्षणिक संस्थानों और विकास एजेंसियों ने मिलकर कुल वित्तीय सहायता का 27.62 प्रतिशत हिस्सा लिया।

चालू वर्ष के दौरान सहायता में वृद्धि, मुख्यतः नगर निगम तथा नगरपालिकाएँ (₹ 355.56 करोड़), जिला परिषद (₹ 206.81 करोड़), कृषि शोध एवं शैक्षिक संस्थान, भूमि सुधार करने हेतु भू-अभिलेखों का अद्यतनीकरण और वन्यजीव संरक्षण (₹ 139.16 करोड़) तथा सचिवालय आर्थिक सेवाएँ व पर्यटन (₹ 16.23 करोड़) के कारण हुई। तथापि, अन्य संस्थानों जैसे विकास अभिकरण (₹ 406.40 करोड़), शैक्षिक संस्थाओं (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि) (₹ 185.70 करोड़), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों की सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण (₹ 214.31 करोड़), चिकित्सालय तथा अन्य धर्मार्थ संस्थाएँ (₹ 66.19 करोड़) और अन्य संस्थाएँ (₹ 30.66 करोड़) के संबंध में अवमुक्त अनुदानों में गिरावट हुई।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

राज्य में अच्छी सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना की उपलब्धता सामान्यतया उसके व्यय की गुणवत्ता को दर्शाती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूलतः तीन पहलुओं को समाहित करता है यथा, व्यय की पर्याप्तता (जैसे लोक सेवार्यें उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त प्रावधान); किये गये व्यय की दक्षता और प्रभावकारिता (चयनित सेवाओं हेतु परिव्यय परिणाम सम्बन्धों का निर्धारण)।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

मानव विकास स्तरों की वृद्धि हेतु आवश्यक है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि पर अपने व्यय को बढ़ाएँ।

तालिका-1.17 एवं चार्ट-1.14 वर्ष 2013-14, 2016-17 और 2017-18 में विशेष श्रेणी राज्यों (वि श्रे रा) में विकासपरक व्यय (वि व्य), सामाजिक क्षेत्र व्यय (सा क्षे व्य) और पूँजीगत व्यय

(पूँ व्य), शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता⁸ को विश्लेषित करती है।


तालिका-1.17: 2013-14, 2016-17 और 2017-18 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	स व्य/ स रा घ उ	वि व्य ⁸ /स व्य	सा क्षे व्य /स व्य	आ क्षे व्य /स व्य	पूँ व्य /स व्य	शिक्षा/ स व्य	स्वास्थ्य/ स व्य
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2013-14	23.50	64.00	37.60	29.30	13.80	18.30	5.40
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2013-14	13.55	65.41	40.28	23.76	18.37	21.35	4.68
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2016-17	27.40	61.40	34.20	30.00	13.60	16.60	5.40
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2016-17	15.54	64.09	37.76	25.79	16.30	18.91	4.60
विशेष श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2017-18	25.80	58.90	34.90	28.90	15.50	18.20	6.20
उत्तराखण्ड का औसत (अनुपात) 2017-18	16.12	58.14	34.26	23.66	16.86	18.85	4.28

स व्य: सकल व्यय, वि व्य : विकासपरक व्यय, सा क्षे व्य: सामाजिक क्षेत्र में व्यय।
 # विकासपरक व्यय में विकासपरक राजस्व व्यय, विकासपरक पूँजीगत व्यय और वितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।
 स्रोत: संबन्धित वर्ष के वित्त लेखे और आर्थिक सलाहकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक का कार्यालय।

चार्ट-1.14: वर्ष 2017-18 के लिए प्रतिशतता में सार्वजनिक व्यय की प्राथमिकता



उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2013-14 के साथ 2016-17 तथा 2017-18 में औसत व्यय का तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- 2016-17 एवं 2017-18 में सरकार का सकल व्यय, स रा घ उ के अनुपात में 2013-14 के सापेक्ष क्रमशः 1.99 एवं 2.57 प्रतिशतता बिन्दु अधिक था।
- सकल व्यय (स व्य) के अनुपात में 2016-17 एवं 2017-18 में विकासपरक व्यय (वि व्य) 2013-14 के सापेक्ष क्रमशः 1.32 एवं 7.27 प्रतिशतता बिन्दु कम था।
- वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में सामाजिक क्षेत्र व्यय का सकल व्यय में अनुपात क्रमशः 2.52 एवं 6.02 प्रतिशतता बिन्दु कम हो गया।

⁸ उस श्रेणी में व्यय का अनुपात सकल व्यय (ए इ) के लिए।

- वर्ष 2013-14 के सापेक्ष 2016-17 में आर्थिक क्षेत्र व्यय, सकल व्यय के अनुपात में 2.03 प्रतिशतता बिन्दु अधिक था जबकि 2017-18 में यह 0.10 प्रतिशतता बिन्दु कम हुआ।
- वर्ष 2013-14 के सापेक्ष वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में पूँजीगत व्यय (पूँ व्य) का सकल व्यय में अनुपात क्रमशः 2.07 एवं 1.51 प्रतिशतता बिन्दु कम हो गया।

आगे, विशेष श्रेणी राज्यों एवं उत्तराखण्ड राज्य के वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के औसत का वर्ष 2013-14 से तुलनात्मक अध्ययन निम्न दर्शाता है:

- राज्य में स रा घ उ के अनुपात के रूप में सकल व्यय (स व्य) विगत तीन वर्षों में विशेष श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना कम रहा।
- राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में विकास व्यय 2013-14 और 2016-17 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था। तथापि, 2017-18 के दौरान यह थोड़ा कम था।
- विशेष श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में 2013-14 और 2016-17 के दौरान राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र व्यय अधिक था। तथापि, 2017-18 के दौरान यह कम था।
- विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में आर्थिक क्षेत्र का व्यय विशेष श्रेणी राज्यों की तुलना में कम था।
- राज्य सरकार द्वारा 2013-14, 2016-17 और 2017-18 में पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि पूँ व्य का सकल व्यय से अनुपात विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक है।
- विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य में कुल व्यय के अनुपात के रूप शिक्षा क्षेत्र में व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था।
- विगत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यय विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से कम था।

1.7.2 व्यय करने की दक्षता

सामाजिक और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से विकास मर्दों पर लोक व्यय के महत्व के परिप्रेक्ष्य में, राज्य सरकार के लिए उचित व्यय औचित्यपूर्ण कदम उठाना तथा कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स⁹ के प्रावधान पर जोर देना महत्वपूर्ण है। विकासपरक व्यय¹⁰ हेतु धन के आवंटन में वृद्धि के अतिरिक्त, व्यय की दक्षता, पूँजीगत व्यय के कुल व्यय से अनुपात (और/अथवा स रा घ उ) एवं विद्यमान सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के परिचालन एवं रखरखाव पर होने वाले राजस्व व्यय के समानुपात से भी परिलक्षित होता है। कुल व्यय (और/या स रा घ उ) के लिए इन घटकों का अनुपात जितना अधिक होगा, उतना ही व्यय की गुणवत्ता बेहतर होगी। जहाँ, एक ओर तालिका-1.18 चालू

⁹ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

¹⁰ परिशिष्ट-4.1 की शब्दावली का संदर्भ लें।

वर्ष व गत वर्ष के दौरान राज्य के कुल व्यय से सम्बन्धित विकास व्यय की प्रवृत्तियों को दर्शाती है, वहीं तालिका-1.19, चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के रखरखाव पर किए गये पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटकों का विवरण प्रस्तुत करती है।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान कुल व्यय (कु व्य) में विकासपरक राजस्व व्यय (वि रा व्य) का अंश औसतन 47 प्रतिशत रहा। यद्यपि, चालू वर्ष के दौरान वि रा व्य ने गत वर्ष की तुलना में 5.36 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की परंतु कुल व्यय में इसके अंश में चार प्रतिशत की कमी आई। वर्ष 2014-15 में विकासपरक पूँजीगत व्यय (वि पू व्य) में गत वर्ष की तुलना में ₹ 1,151 करोड़ की वृद्धि हुई, परंतु वर्ष 2014-15 की अपेक्षा 2015-16 के दौरान यह ₹ 619 करोड़ (13.10 प्रतिशत) घट गया। इसमें 2016-17 के दौरान पुनः ₹ 776 करोड़ (18.90 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और यह प्रवृत्ति 2017-18 में भी जारी रही। तथापि, कुल व्यय में वि पू व्य का अंश 2017-18 के दौरान गत वर्ष की अपेक्षा मामूली एक प्रतिशत घट गया। 2013-14 से 2017-18 की अवधि में विकासपरक व्यय में समग्र वृद्धि लगभग 54.29 प्रतिशत तक हुई और कु व्य में इसका अंश 2013-14 में 65 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 58 प्रतिशत हो गया।

तालिका-1.18: विकासपरक व्यय

(₹ करोड़ में)

विकासपरक व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					ब आं	वास्तविक
विकासपरक व्यय	13,216(65)	17,955(68)	18,098(66)	19,477(64)	22,108(59)	20,391(58)
(अ) विकासपरक राजस्व व्यय	9,366(46)	13,081(49)	13,910(50)	14,431(47)	17,514(47)	15,205(43)
(ब) विकासपरक पूँजीगत व्यय	3,574(18)	4,725(18)	4,106(15)	4,882(16)	4,342(11)	5,110(15)
(स) विकासपरक ऋण एवं अग्रिम	276(01)	149(01)	82(01)	164(01)	252(1)	76(--)

कोष्ठक के आँकड़े समग्र व्यय के प्रतिशत को इंगित करते हैं।

तालिका-1.19: चयनित सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2016-17			2017-18		
	कु व्य पर पू व्य का अनुपात	रा व्य में अंश		कु व्य पर पू व्य का अनुपात	रा व्य में अंश	
		वे एवं पा	परि एवं मर		वे एवं पा	परि एवं मर
सामाजिक सेवाएँ (सा से) मुख्य घटकों पर व्यय						
सामान्य शिक्षा	3.54	75.80	0.06	2.81	79.32	0.03
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7.70	60.06	0.35	3.95	63.03	0.32
जलापूर्ति, स्वच्छता और आवासीय एवं शहरी विकास	30.06	1.07	0.23	54.96	2.44	0.26
सा से पर कुल व्यय	8.21	64.48	0.13	10.62	70.65	0.10
आर्थिक सेवाएँ (आ से) मुख्य घटकों पर व्यय						
कृषि एवं संबद्ध क्रिया कलाप	32.46	40.30	0.90	27.18	39.34	1.29
सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण	56.37	77.20	11.05	43.60	78.52	8.85
विद्युत एवं ऊर्जा	87.88	0.38	0.00	87.80	0.66	0.00
परिवहन	81.48	7.13	1.69	86.60	11.32	3.93
आ से पर कुल व्यय	53.47	41.16	2.48	49.42	42.53	2.62
सा से + आ से पर कुल व्यय	26.15	58.66	0.72	24.95	63.64	0.73

कु व्य: कुल व्यय, पूँ व्य: पूँजीगत व्यय, रा व्य: राजस्व व्यय, वे एवं पा: वेतन एवं पारिश्रमिक, परि एवं मर: परिचालन एवं मरम्मत।

राज्य सरकार ने अपने बजट 2017-18 में, वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 5,514.38 करोड़ पूँजीगत व्यय की वचनबद्धता दर्शायी। तथापि, सरकार ने ब आं से 7.25 प्रतिशत (₹ 399.99 करोड़) अधिक की राशि को पूँजीकृत किया। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में भी पूँजीगत व्यय में ₹ 960.15 करोड़ की वृद्धि हुई।

2017-18 के दौरान 2016-17 की तुलना में सामाजिक सेवाओं में राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में 6.17 प्रतिशतता बिन्दु की वृद्धि हुई। तथापि, आर्थिक सेवाओं में 1.37 प्रतिशतता बिन्दु की मामूली वृद्धि प्रदर्शित हुई। सामाजिक सेवाओं के परिचालन एवं मरम्मत के अन्तर्गत व्यय में राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में गिरावट हुई है और गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान आर्थिक सेवाओं में स्थिति लगभग समान रही।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का विश्लेषण

एफ आर बी एम ढाँचे के उपरान्त राज्य से न केवल अपने राजकोषीय घाटे (व उधार) को निम्न स्तर पर रखने वरन् अपने पूँजीगत ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय और निवेश की जरूरतों को वहन करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को अपने निवेशों पर पर्याप्त प्रतिफल अर्जित करने एवं ऋण से प्राप्त निधियों की लागत को अप्रत्यक्ष उपदान के रूप में अपने बजट से वहन करने के बजाय वसूल किये जाने तथा वित्तीय परिचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। यह खण्ड, पूर्व वर्षों के सापेक्ष चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किये गये निवेशों एवं अन्य पूँजीगत व्यय का मोटे तौर पर वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 अपूर्ण परियोजनाएँ

31 मार्च 2018 को विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं सम्बन्धी सूचना तालिका-1.20 में दी गयी है।

तालिका-1.20: अपूर्ण परियोजनाओं का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	प्रारम्भिक बजटीय लागत	*परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत	पुनरीक्षित आगणन में लागत वृद्धि	31.03.2018 को संचयी वास्तविक व्यय
लोक निर्माण विभाग	260	1,090.46	1,141.75	51.29	631.94

*राज्य सरकार द्वारा 31.03.2018 तक किये गये अन्तिम पुनरीक्षण के अनुसार परियोजनाओं की पुनरीक्षित कुल लागत को इंगित करता है।

स्रोत: वित्त लेख।

परियोजनाओं के पूरा होने में देरी ने न केवल व्यय की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, बल्कि राज्य को अभिप्रेत लाभ और आर्थिक विकास से भी वंचित किया।

1.8.2 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2018 को, सांघिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी समितियों (तालिका-1.21) में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल नगण्य था और पिछले पाँच वर्षों में निवेश का 0.004 से 0.71 प्रतिशत का प्रसार रहा, जबकि सरकार ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान 8.13 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर भुगतान किया था।

तालिका-1.21: निवेश पर प्रतिफल

निवेश/प्रतिफल/ऋणों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के अन्त तक निवेश (₹ करोड़ में)	2,677	2,809	2,914	3,124	3,209
प्रतिफल (लाभांश/ब्याज) (₹ करोड़ में)	0.30	0.11	5.10	15.21	22.69
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.01	0.004	0.18	0.49	0.71
सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	7.57	7.73	8.19	8.90	8.27
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अन्तर (प्रतिशत)	7.56	7.73	8.01	8.41	7.56
सरकारी उधारों की ब्याज दर और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण काल्पनिक हानि	202.38	217.14	233.41	262.73	242.60

स्रोत: वित्त लेख।

इस संदर्भ में, राज्य सरकार द्वारा निवेश एवं प्रतिफल पर कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं। पिछले पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने सरकार की उधार लागत और कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों पर निवेश पर अंतर के कारण निवेश पर प्रतिफल पर ₹ 1,158.26 करोड़ का काल्पनिक नुकसान उठाया है। मुख्य निवेश (25 प्रतिशत से अधिक) (i) उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 1,306.03 करोड़) (ii) उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,167.86 करोड़) एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन (₹ 471.05 करोड़) में थे। वर्ष 2017-18 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने ₹ 2,568.72 करोड़ की संचित हानि को वहन किया जबकि उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं उत्तराखण्ड पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2017-18 के अन्तिमीकृत लेखे के अनुसार क्रमशः ₹ 570.55 करोड़ एवं ₹ 133.79 करोड़ का लाभ संचित किया था।

उत्तराखण्ड राज्य में कुल 30 सार्वजनिक उपक्रम हैं, जिनमें से 22 सार्वजनिक उपक्रम क्रियाशील हैं और आठ अक्रियाशील हैं। क्रियाशील 22 सार्वजनिक उपक्रमों के बीच, नौ सार्वजनिक उपक्रमों ने हानि वहन की और उन्हें ₹ 3,184.91 करोड़ का घाटा हुआ। चालू वर्ष के दौरान उत्तराखण्ड सरकार ने अक्रियाशील सार्वजनिक उपक्रमों में कोई ऋण नहीं दिया है और न ही कोई निवेश किया है। इसके अलावा, 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में इक्विटी शेयर कैपिटल के रूप में ₹ 22.00 करोड़ का निवेश किया और दो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों जैसे कि डोईवाला शुगर कंपनी और किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड को ₹ 56.17 करोड़ का अनुदान दिया। 31 मार्च 2018 तक की स्थिति में, सभी तीन सार्वजनिक उपक्रमों को संचित हानि हो रही थी।

यह भी देखा गया कि राज्य सरकार ने इक्विटी शेयर पूंजी के रूप में ₹ 0.50 करोड़¹¹ का निवेश किया और चार सार्वजनिक उपक्रमों को ₹ 58.22 करोड़¹² की अनुदान / उपदान प्रदान की, जिनके खातों में बकाया थे।

¹¹ उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम।

¹² दो राज्य सार्वजनिक उपक्रमों डोईवाला शुगर कंपनी और किच्छा शुगर कंपनी लिमिटेड को दिये ₹ 56.17 करोड़ शामिल हैं, जिन्हें 31 मार्च तक संचित हानि हो रही थी; उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण वक्फ विकास निगम - ₹ 1.80 करोड़ और उत्तराखण्ड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम - ₹ 0.25 करोड़।

1.8.3 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रम

अर्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के क्रियाकलाप भी कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय प्रबन्धित उपक्रमों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। राज्य में तीन विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम हैं। इसमें से केवल एक कंपनी, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की ने 2011-12 तक अपने खातों को अंतिम रूप दे दिया था। सरकार द्वारा किए गए निवेशों की उस वर्ष तक जिस वर्ष तक के प्रोफार्मा खातों को अंतिम रूप दिया गया है, विभागवार स्थिति शुद्ध लाभ/हानि के साथ-साथ इन उपक्रमों में निवेश की गई पूँजी का प्रतिफल **परिशिष्ट-1.5** में दिया गया है। तीन कंपनियों के अंतिम लेखाओं की जाँच में पाया गया है कि:

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी सिंचाई कार्यशाला, रुड़की में ₹ 1.92 करोड़ का निवेश, वित्तीय वर्ष 2011-12 के अन्त तक किया गया था।
- कुल तीन उपक्रमों, अर्थात् सिंचाई कार्यशाला, रुड़की, क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक, हल्द्वानी तथा देहरादून, में से केवल सिंचाई कार्यशाला, रुड़की के 2011-12 तक के खातों को अंतिम रूप दे दिया था। वर्ष 2007-08 तक यह लाभार्जन का उपक्रम था, परन्तु तत्पश्चात् शुद्ध हानि दर्ज की गयी।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों तथा कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त, सरकार इन संस्थाओं / संगठनों में से अनेक को ऋण एवं अग्रिम राशि भी उपलब्ध कराती रही है। **तालिका-1.22**, 31 मार्च 2018 को बकाया ऋण एवं अग्रिमों, पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतान के सापेक्ष ब्याज प्राप्तियों को दर्शाती है।

तालिका-1.22: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्तियाँ/ऋण की लागत की मात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	
			ब आं	वास्तविक
राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम का प्रारम्भिक शेष	1,046.36	1,596.45 [#]	--	1,726.65
वर्ष के दौरान दी गयी अग्रिम राशि	83.15	165.05	252.35	76.83
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान की गई राशि	27.20	34.85	253.05	33.51
अंतिम शेष	1,102.31	1,726.65	--	1,769.97
निवल वृद्धि	55.95	130.20	--	43.33
ब्याज प्राप्तियाँ	0.14	0.17	--	0.08
बकाया ऋणों एवं अग्रिम पर ब्याज प्राप्तियाँ प्रतिशत के रूप में	0.01	0.01	--	0.005
बकाया शेष जिनकी निबंधन एवं शर्तें नियत की जा चुकी हैं	राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई			
स्रोत : वित्त लेखे एवं वार्षिक वित्तीय विवरण (उत्तरखंड सरकार)।				
# उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य विभाजन न किए गए शेष भाग के कारण गत वर्ष के अन्तिम शेष से भिन्न।				

सरकार ने वर्ष 2016-17 में दिये अग्रिम ऋण ₹ 165.05 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 76.83 करोड़ का अग्रिम ऋण दिया, जो कि पिछले वर्ष से ₹ 88.22 करोड़ (53.45 प्रतिशत) कम था। यह कमी मुख्य रूप से थी क्योंकि वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 98.40 करोड़ "फसल कर्म के लिए ऋण" के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र को उन्नत बनाने के लिए अग्रिम के रूप में दिया गया था, के सापेक्ष 2017-18 के दौरान ₹ 5.44 करोड़ दिया। ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों ने भी पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 1.34 करोड़ की मामूली कमी दिखाई।

बकाया ऋणों एवं अग्रिम के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्तियों में चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट हुई। वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान प्रतिशत, राज्य सरकार के अवशेष राजकोषीय दायित्व का 7.69 प्रतिशत था, जो कि विगत वर्ष से कम थी, जबकि राज्य सरकार द्वारा, विभिन्न संस्थाओं, निगमों / सरकारी कम्पनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर ब्याज की दर बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत के लक्ष्य, जिसे 2009-10 तक प्राप्त किया जाना था, के सापेक्ष केवल 0.005 प्रतिशत थी।

31 मार्च 2018 तक सरकार द्वारा दिये गये कुल ऋण ₹ 1,769.97 करोड़ थे। मुख्य लाभार्थी कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ (₹ 899.79 करोड़), परिवहन (₹ 148.53 करोड़) एवं ऊर्जा (₹ 164.50 करोड़) क्षेत्र थे।

कुल बकाया ऋणों की समीक्षा से प्रकाश में आया की मार्च 2018 के अंत तक चार क्षेत्रों द्वारा जैसा कि तालिका-1.23 में वर्णित है, विगत पाँच वर्षों में कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया और एक क्षेत्र (कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ) में पुनर्भुगतान बहुत कम था, जबकि आगे ऋणों को दिया गया जिस कारण बकाया अवशेष वर्षों के साथ बढ़ा।

तालिका-1.23: लम्बे समय से लंबित ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)						
क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सामान्य सेवायें (अन्य ऋण)	19.47	19.47	19.47	19.47	19.47
2.	जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	42.09	42.09	42.09	47.89	47.89
3.	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	660.81	795.99	797.92	895.31	899.79
4.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	9.53	9.53	9.53	503.68 [#]	503.16
5.	परिवहन	135.11	135.11	136.11	140.29	148.53
योग		867.01	1,002.19	1,005.12	1,606.64	1,618.84

[#] अनावंटन अवशेषों को उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के मध्य संविभाजित किये जाने के कारण ₹ 494.15 करोड़ की वृद्धि।

1.8.5 रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका-1.24 वर्ष के दौरान रोकड़ शेषों तथा राज्य सरकार द्वारा रोकड़ शेषों से किये गये निवेश को इंगित करती है।

तालिका-1.24: रोकड़ शेष और रोकड़ शेष से किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2017 को	31 मार्च 2018 को
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषागारों और स्थानीय प्रेषणों में रोकड़	00	00
रिजर्व बैंक में जमा	1,157.65	1,171.00
अन्य बैंकों में जमा (ब)	00	00
योग	1,157.65	1,171.00
रोकड़ शेष निवेश लेखे में रखा निवेश	451.51	385.49
योग (अ)	1,609.16	1,556.49
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग अधिकारियों, वन विभाग अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के पास रोकड़	(-) 11.02	(-) 10.70
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थायी अग्रिम,	(-) 0.81	(-) 0.81
निर्धारित निधियों का निवेश	1,188.62	1,188.62
योग (ब)	1,176.79	1,177.11
महायोग (अ) + (ब)	2,785.95	2,733.60

स्रोत: वित्त लेखे।

अन्तिम रोकड़ शेष (रो शे) पिछले वर्ष (₹ 2,785.95 करोड़) के सापेक्ष चालू वर्ष (₹ 2,733.60 करोड़) के अन्त में ₹ 52.35 करोड़ घट गया।

राज्य सरकार ने रोकड़ शेष से ₹ 1,188.62 करोड़ की नैमित्तिक निधि सृजित की। नैमित्तिक निधि की यह राशि जो ऋण शोधन निवेश लेखा (₹ 1,153.62 करोड़) एवं प्रत्याभूति मोचन कोष (₹ 35 करोड़) से मिलकर बनी है, भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से निवेश की गई। राज्य सरकार द्वारा ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ नहीं लिया एवं यह वर्ष 2017-18 के दौरान अधिकतम दिनों (275 दिन) के लिए ₹ 0.16 करोड़ का न्यूनतम शेष बनाये रखने में समर्थ थी। तथापि, वर्ष के दौरान रोकड़ प्रवाह में अस्थायी शेष ने सरकार को 90 (विशेष) अवसरों पर अर्थोपाय अग्रिम को प्राप्त करने के लिए बाध्य किया। वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य को ₹ 5.24 करोड़ अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज के रूप में देना पड़ा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में मुख्य शीर्ष '8670-चैको और बिलों' के नीचे लघुशीर्ष 'कोषालय चैक' के अधीन ₹1,817.09 करोड़ क्रेडिट शेष पड़ा था।


2017-18 के दौरान, राज्य में वर्ष के प्रारम्भ में ₹ 1,609.16 करोड़ का सामान्य रोकड़ शेष था और सरकार ने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए खुले बाजार से ₹ 6,660 करोड़ उधार लिए। वर्ष के अंत में सामान्य रोकड़ शेष राशि ₹ 1,556.49 करोड़ थी।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला है कि 2017-18 के दौरान रोकड़ शेष निवेश खाते पर प्राप्त ब्याज ₹ 14.05 करोड़ (3.11 प्रतिशत) था, जबकि सरकार ने वर्ष के दौरान अपने बाजार उधार पर 8.27 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था। इसलिए, यह राज्य के वित्तीय हित में होता कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध रोकड़ शेष राशि (आर बी आई के पास

अनिवार्य न्यूनतम रोकड़ शेष से परे) का उपयोग करता ताकि अपनी उधारियों को कम किया जा सके।

पिछले पाँच वर्षों में उधारियों के सापेक्ष औसत रोकड़ शेष को चार्ट-1.14 अ में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.14 अ: वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए उधार के सापेक्ष रोकड़ शेष



1.9 परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संरचना

विद्यमान सरकारी लेखापद्धति में, सरकारी स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों, जैसे भूमि एवं भवनों का विस्तृत लेखाकरण नहीं किया है। तथापि, सरकारी लेखे, सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। **परिशिष्ट-1.4 (भाग ब)** में 31 मार्च 2017 की समतुल्य स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2018 को ऐसे दायित्वों एवं परिसम्पत्तियों का सार दिया गया है। इस परिशिष्ट में दायित्वों में मुख्यतः आन्तरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे एवं आरक्षित निधि से प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं तथा परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष सम्मिलित हैं।


1.9.2 राजकोषीय दायित्व

सरकार की देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक उधार, ऋण और भारत सरकार से अग्रिम और सार्वजनिक खाते में शेष राशि शामिल है। 31 मार्च 2018 को राज्य की कुल देयताएँ, ₹ 51,831 करोड़ थीं; इसकी संरचना **चार्ट-1.15** में है।

चार्ट-1.15: राज्य सरकार की 2017-18 की कुल देयताओं के घटक

कुल देयताएँ (₹ 51,831 करोड़) ¹³		
बाजार, वित्तीय संस्थानों, आदि से आंतरिक ऋण (₹ 40,286 करोड़)	ऋण और अग्रिम भारत सरकार से (₹ 729 करोड़)	सार्वजनिक खाता दायित्व जहां सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है (₹ 10,816 करोड़)
बाजार ऋण (₹ 26,662 करोड़)	राज्य आयोजना योजनाओं के लिए ऋण (₹ 724 करोड़)	उच्चन्त और विविध (-) (₹ 1,789 करोड़)
वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 3,785 करोड़)	आयोजनेत्तर ऋण (₹ 4 करोड़)	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि. (₹ 7,010 करोड़)
एन एस एस एफ को जारी किए गए विशेष प्रतिभूति (₹ 9,838 करोड़)	1984-85 के पूर्व ऋण (₹ 0.53 करोड़)	आरक्षित कोष (₹ 1,650 करोड़)
अन्य संस्थानों से ऋण (₹ 1 करोड़)		जमा (₹ 3,345 करोड़)

राज्य के बकाया राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियों को **परिशिष्ट-1.3, परिशिष्ट-1.4 (भाग-अ)** व राज्य वित्त लेखे के **विवरण 6** में प्रस्तुत किया गया है तथापि, पिछले वर्ष के सापेक्ष वर्तमान वर्ष के दौरान राजकोषीय दायित्वों की संरचना **चार्ट-1.16** और **चार्ट-1.17** में प्रस्तुत की गई है।




राजकोषीय दायित्व से स रा घ उ अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात 22.84 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2017-18 में 23.82 प्रतिशत था। यह अनुपात वर्ष के लिए चौ वि आ के निर्धारित मापदण्ड (22.60 प्रतिशत) से 1.22 प्रतिशतता अधिक था। समस्त राजकोषीय दायित्व वर्ष 2013-14 के ₹ 28,767 करोड़ से 80.18 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 51,831 करोड़ हो गए थे। राजकोषीय देनदारियों में लोक ऋण (₹ 41,015 करोड़), लघु बचत और भविष्य निधि, आदि (₹ 7,010 करोड़), और

¹³ सामान्य रोकड़ शेष और आकस्मिक निधि (कोष) शामिल नहीं है।

अन्य दायित्व (₹ 3,806 करोड़) शामिल हैं। पिछले वर्ष 2016-17 की तुलना में चालू वर्ष के अंत में राजकोषीय देनदारियों (₹ 7,248 करोड़) में वृद्धि मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, लघु बचत और भविष्य निधि आदि के कारण हुई, जो क्रमशः ₹ 5,731 करोड़ थी और ₹ 619 करोड़ तक बढ़ गए थे। वर्ष के दौरान स रा घ उ के संबंध में इन देनदारियों की उत्प्लावकता 1.45 थी जो यह दर्शाता है कि स रा घ उ में प्रत्येक प्रतिशतता बिन्दु की वृद्धि के लिए, राजकोषीय दायित्वों में 1.45 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2017-18 के दौरान, ये देयताएं (₹ 51,831.24 करोड़) राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 1.91 गुना और अपने स्वयं के संसाधनों से 4.34 गुना अधिक थी। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए राजकोषीय देयता की संरचना की प्रवृत्तियाँ चार्ट-1.18 में दर्शाया गयी हैं।

चार्ट-1.18: देयताओं की प्रवृत्ति



स्रोत: वित्त लेखे ।

1.9.3 जमा एवं आरक्षित निधियों के अधीन लेन-देन

(अ) 31 मार्च 2018 को राज्य सरकार सात आरक्षित निधियों का संचालन कर रही थी, जिसमें से एक आरक्षित निधि ब्याज सहित¹⁴ (₹ 381.66 करोड़ जमा) तथा छः ब्याज रहित निधियाँ¹⁵ (₹ 1,268.87 करोड़ जमा) हैं। इन सात निधियों में से चार निधियाँ निष्क्रिय (शेष ₹ 1,226.52 करोड़ जमा) तथा तीन निधियाँ क्रियाशील (शेष ₹ 424.02 करोड़ जमा) हैं। 1 अप्रैल 2017 को, इन सात निधियों के सापेक्ष ₹ 1,545.46 करोड़ का प्रारम्भिक शेष था। वर्ष के दौरान, राज्य सरकार ने संचित निधि से तीन क्रियाशील आरक्षित निधियों में ₹ 232.34 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की और इन निधियों से ₹ 127.27 करोड़ व्यय किया जिससे 31 मार्च 2018 को

¹⁴ राज्य आपदा मोचन निधि।

¹⁵ 1. ऋण शोधन निधि 2. शैक्षिक उद्देश्यों के लिए विकास निधि 3. चीनी विकास निधि 4. विद्युत विकास निधि 5. अन्य विकास और कल्याण निधि 6. मोचन निधि की प्रत्याभूति।

₹ 1,650.53 करोड़ की धनराशि शेष रही। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त राशि से किसी भी धनराशि का निवेश नहीं किया गया। वर्ष के अंत तक कुल निवेश ₹ 1,188.62 करोड़ किया गया तथा ₹ 461.91 करोड़ का शेष रहे। **निष्क्रिय आरक्षित निधियों को बंद करने तथा संलिप्त धनराशि को संबन्धित राजस्व शीर्ष में अंतरण करने के लिए पुनर्वलोकन की आवश्यकता थी। उक्तांकित निष्क्रिय खातों के संबंध में यह नहीं किया।**

(ब) लोक लेखों के क्षेत्र *ज* तथा *क* के अधीन ब्याज सहित आरक्षित निधियों तथा ब्याज सहित जमा धनराशि के संबंध में ₹ 41.24 करोड़ का वार्षिक दायित्व हैं जिन्हे राज्य सरकार को वहन करना है। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा देय ब्याज हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया था इसके बावजूद ऐसी आरक्षित निधियों तथा जमा धनराशियों में 1 अप्रैल 2017 को शेष विद्यमान था। जिसका विवरण तालिका-1.25 में है:

तालिका-1.25: आरक्षित निधियों एवं निक्षेपों में रोकड़ शेष का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	ब्याज दर	2017-18 के आरंभ में शेष	देय ब्याज
ज - आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि (रा आ प्र नि सहित)	6.08 प्रतिशत (अर्थोपाय ब्याज दर का औसत)	271.89	16.53
क - जमा तथा अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	6.08 प्रतिशत (अर्थोपाय ब्याज दर का औसत)	406.49	24.71
कुल ब्याज			678.38	41.24

समेकित ऋण शोधन निधि : बारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार कुल बकाया दायित्वों (राज्य सरकार के आंतरिक ऋण और लोक लेखा दायित्वों) का बोझ कम करने के लिये राज्य सरकार ने ऋण शोधन निधि 2006 के सृजन एवं व्यवस्था के लिए एक पुनरीक्षित योजना बनाई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मार्गदर्शन / निर्देशों के अधीन, राज्यों को पिछले वर्ष के अंत के अपनी बकाया दायित्वों के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत (आंतरिक ऋण+लोक लेखा दायित्व) का सहयोग देना आवश्यक है। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों/सुझावों के अनुसार, निधियों का संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। **वर्ष 2017-18 में, न्यूनतम आवश्यक निवेश ₹ 222.91 करोड़ (31 मार्च 2017 को बकाया दायित्वों ₹ 44,582.67 करोड़ के न्यूनतम 0.5 प्रतिशत) के विरुद्ध कोई भी धनराशि राज्य की संचित निधि से ऋण शोधन निधि में विनियोजित नहीं की गयी।** राज्य सरकार ने सूचित नहीं किया कि क्या निधियों के प्रावधान के अनुसार सहयोग की गयी निधि का पुनर्वलोकन निधि में पर्याप्त धनराशि प्राप्त करने पर किया गया है। 2017-18 के अन्त में इसमें कुल संचयन ब्याज घटक के ₹ 1,256.32 करोड़ को सम्मिलित करते हुये, ₹ 2,484.32 करोड़ था जो बकाया दायित्वों ₹ 51,831.24 करोड़ का 4.79 प्रतिशत है। जिसमें से ₹ 2,409.94 करोड़ आर बी आई द्वारा निवेश किया गया।

राज्य आपदा विमोचन निधि (एस डी आर एफ): भारत सरकार द्वारा 2010-11 में मौजूदा आपदा राहत निधि को राज्य आपदा मोचन निधि के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। इस निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार केन्द्र एवं उत्तराखण्ड जैसे विशेष श्रेणी राज्यों को 90:10 के अनुपात में योगदान देना आवश्यक है। दिशा निर्देशों के अनुसार, ये योगदान, व्यय मुख्य शीर्ष 2245 से प्रचालित होकर लोक लेखा में मुख्य शीर्ष 8121 के अधीन अंतरित होने हैं। वर्ष के अंत में निधि में शेष धनराशि का निवेश किया जाता है। आपदा प्रतिक्रिया पर वर्ष के दौरान किया गया व्यय लोक लेखा को नामे करने के साथ मुख्य शीर्ष 2245 को नामे कम करके संयोजित किया जाता है। जब राज्य आपदा मोचन निधि में शेष धनराशि प्राकृतिक आपदाओं पर होने वाले व्यय के लिए कम पड़ जाती है तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अधीन दी गयी धनराशि का व्यय सीधे प्राकृतिक आपदाओं पर किया जाता है।

1 अप्रैल 2017 को, निधि में ₹ 271.89 करोड़ की धनराशि शेष थी। 2017-18 के दौरान, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के लिए ₹ 207.90 करोड़ अवमुक्त किए। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के सभी निर्गतों के साथ अपने अंश ₹ 23.10 करोड़ लोक लेखा को हस्तांतरित कर दिये। निधि में उपलब्ध शेष धनराशि में से, ₹ 121.23 करोड़ का व्यय आरम्भ में मुख्य शीर्ष 2245-प्राकृतिक आपदाओं के अन्तर्गत किए गए इंद्राज के पश्चात समायोजित किया गया। जिससे निधि में 31 मार्च 2018 को ₹ 381.66 करोड़ की धनराशि शेष रही। दिशा निर्देशों के विरुद्ध, राज्य सरकार ने इस धनराशि को निवेशित नहीं किया।

1.9.4 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

प्रत्याभूतियाँ, उधार लेने वाले, जिसके लिये प्रत्याभूति दी गयी है, के दोषी रहने पर राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक दायित्व हैं।

एफ आर बी एम अधिनियम, 2005 में यह विहित है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होते समय विद्यमान, राज्य सरकार के किसी नियम या कानून के अन्तर्गत अथवा इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने वाले किसी नियम या कानून द्वारा, निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर प्रत्याभूति नहीं देगी। तथापि, राज्य विधायिका द्वारा (संविधान के अनुच्छेद 293 के अन्तर्गत उस अधिकतम सीमा के निर्धारणार्थ जिसके अन्तर्गत सरकार राज्य समेकित निधि की प्रतिभूति पर प्रत्याभूतियाँ दे सके) संबन्धित प्रावधान दिसम्बर 2016 में संसोधित एफ आर बी एम अधिनियम में किया है।


वित्त लेखे के **विवरण 9** के अनुसार, अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा प्रत्याभूतियाँ दी गई थीं तथा विगत पाँच वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियाँ **तालिका-1.26 एवं चार्ट-1.19** में दी गई हैं:

तालिका-1.26: उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रत्याभूति की बकाया राशि	1,475	1,832	1,743	1,248 [#]	1,173
राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा	किसी भी वर्ष के लिए बकाया प्रत्याभूतियाँ स रा घ उ के एक प्रतिशत तक निर्धारित है। वर्ष के दौरान दी गयी नई प्रत्याभूति स रा घ उ के 0.3 प्रतिशत से अधिक नहीं चाहिए।				
वर्ष के दौरान परिवर्धन	--	438	915	295	--
वर्ष के दौरान विलोपन	--	81	1,004	781	75

चार्ट-1.19: बकाया प्रत्याभूतियों की स्थिति




स्रोत: वित्त लेखे।

[#] बजट दस्तावेजों में ग्राअ को ₹1,248 करोड़ के रूप में लेने के बाद से पिछले वर्ष के अंतिम शेष के साथ अंतर।

31 मार्च 2018 को बकाया प्रत्याभूति की राशि ₹ 1,173 करोड़ थी, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र (₹ 918 करोड़), सहकारिताओं (₹ 50 करोड़) और अन्य (₹ 205 करोड़) सम्मिलित थे। 31 मार्च 2018 को कुल बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,173 करोड़ थी जो वर्ष के लिए स रा घ उ का 0.54 प्रतिशत है और इसलिए एफआरबीएम सीमा में था। चार्ट-1.20 में कम्पनी वार विवरण दिया गया है।

चार्ट-1.20: 31 मार्च 2018 के अंत में प्रत्याभूति की प्राप्ति में निकाय



स्रोत: वित्त लेखे।

सरकार द्वारा वर्ष के दौरान कोई भी प्रत्याभूति आह्वानित नहीं की गई। इस प्रकार वित्त लेखे में इंगित प्रत्याभूति की अधिकतम राशि एवं प्रत्याभूति की बकाया धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध सूचना पर आधारित है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा रही है, इसलिए सभी मामलों में प्राप्य एवं प्राप्त प्रत्याभूति शुल्क की पूर्ण सूचना वित्त लेखे में नहीं दी गई है।


सरकार ने ₹ 35 करोड़ की प्रत्याभूति संग्रह उत्थित प्रत्याभूतियों के निपटान के लिए एक 'प्रत्याभूति मोचन निधि' का गठन किया था। वर्ष 2017-18 के दौरान कोई भी धनराशि संचित निधि से प्रत्याभूति मोचन निधि में विनियोजित नहीं की गई। आगे, आर बी आई, जो कि निधि की देखभाल करती है, के दिशानिर्देशों के अनुसार निधि कोष को अवशेष प्रत्याभूति की राशि के वांछित पाँच प्रतिशत तक धीरे-धीरे बढ़ाया जाना चाहिए था। वांछित स्तर, ₹ 58.66 करोड़ (31 मार्च 2018 को अवशेष प्रत्याभूति की राशि ₹ 1,173.16 करोड़ का पाँच प्रतिशत) के सापेक्ष 'प्रत्याभूति मोचन निधि' में 31 मार्च 2018 को ₹ 65.42 करोड़ अवशेष (आर बी आई द्वारा आंकलित ₹ 30.42 करोड़ के ब्याज सहित) था। इस निधि के अन्तर्गत समस्त बकाया निवेशित किया जा चुका था।

1.10 ऋण प्रबंधन

(i) ऋण रूपरेखा


राज्य के बकाया ऋणों एवं अग्रिमों (लोक ऋणों) की परिपक्वता रूपरेखा चार्ट-1.21 में दी गई है।

चार्ट-1.21: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा



स्रोत: वित्त लेखे।

31 मार्च 2018 को, लोक ऋण के बकाया स्टॉक की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि 55 प्रतिशत लोक ऋण सात वर्षों या अधिक की परिपक्वता स्थिति में थी। बकाया बाजार ऋण और उस पर ब्याज की राशि का भुगतान दस वर्षों तक किया जाना है, नीचे तालिका-1.22 में विवरण दिया गया है।



नोट: 31 मार्च 2018 को बकाया बाजार ऋण के लिए परिपक्वता रूपरेखा विकसित की गई है और ब्याज की गणना उस वित्तीय वर्ष तक की गई है जिसमें ऋण समाप्त होने जा रहे हैं।

अगले दस वर्षों के दौरान, सरकार को ₹ 26,662 करोड़ के कुल बकाया बाजार ऋणों में से ₹ 24,180 करोड़ (90.69 प्रतिशत) के बाजार ऋण को चुकाना है, इसके साथ ही ब्याज की ₹ 15,863 करोड़ की राशि भी है। इसका मतलब है कि अगले दस वर्षों में राज्य को प्रति वर्ष ₹ 4,004 करोड़ का औसत भुगतान करना है जो वर्ष के दौरान लोक ऋण पुनर्भुगतान के ₹ 2,677.65 करोड़ से अधिक है। इस प्रकार भविष्य में पुनर्भुगतान दायित्व काफी हद तक बढ़ जाएंगे।

(ii) ऋण वहन क्षमता

ऋण वहन क्षमता राज्य की ऋण परिहार करने की क्षमता को दर्शाती है। सरकार के ऋणों के परिणाम के अलावा राज्य की ऋण वहन क्षमता को निर्धारित करने वाले विभिन्न सूचकों का विश्लेषण किया जाना महत्वपूर्ण है। वर्ष 2013-14 से आरम्भ करते हुए पाँच वर्षों की अवधि में राज्य की ऋण वहन क्षमता में उतार चढ़ाव के सूचकों का विश्लेषण तालिका-1.27 में दिया गया है।

तालिका-1.27: ऋण वहन क्षमता : सूचक एवं प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण वहन क्षमता के सूचक ¹⁶	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बकाया लोक ऋण	21,355	25,035	29,836	35,210	41,015
बकाया लोक ऋणों के वृद्धि की दर	13.60	17.23	19.18	18.01	16.49
राज्य की स रा घ उ	1,49,074	1,61,439	1,75,772	1,95,606	2,17,609
स रा घ उ की वृद्धि दर	13.27	8.29	8.88	11.28	11.25
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.83	8.15	8.53	9.67	8.97
ब्याज भुगतान/ राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत)	9.08	9.34	11.02	12.64	12.61
ऋण वापसी का ऋण प्राप्ति से प्रतिशतता	34.00	19.55	29.38	17.35	22.87
सार्वजनिक ऋण प्राप्ति	3,873.00	4,573.00	6,798.00	6,501.00	7,526.00
सार्वजनिक ऋण पुनर्भुगतान	1,317.00	894.00	1,997.00	1,128.00	1,721.00
आंतरिक ऋण एवं भारत सरकार से ऋण पर ब्याज भुगतान	1,572.00	1,891.00	2,339.00	3,146.00	3,417.00
राज्य के पास निवल ऋण उपलब्धता*	984.00	1,788.00	2,462.00	2,227.00	2,388.00
ऋण एवं ब्याज के पुनर्भुगतान का कुल उधर ली गयी राशि से प्रतिशत	74.59	60.90	63.78	65.74	68.27

* राज्य के पास निवल ऋण उपलब्धता का आकलन लोक ऋण प्राप्ति एवं भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिमों से लोक ऋण वापसी, ऋण एवं अग्रिमों के भुगतान तथा लोक ऋण पर ब्याज भुगतान में आधिक्य से किया जाता है।

¹⁶ परिशिष्ट-4.1 से शब्दावली का संदर्भ लें।

तालिका-1.28: उधार ली गई धनराशि का उपयोग


(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उधारियाँ	पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (प्रतिशतता)	निवल पूँजीगत व्यय* (प्रतिशतता)	निवल ऋण और अशिमों का संवितरण (प्रतिशतता)	कुल उधारियाँ में से राजस्व व्यय का भाग (प्रतिशतता)
2013-14	3,873	1,317 (34)	2,556 (66)	लागू नहीं	लागू नहीं
2014-15	4,573	894 (20)	3,679 (80)	लागू नहीं	लागू नहीं
2015-16	6,798	1,997 (29)	4,217 (62)	56 (1)	528 (8)
2016-17	6,501	1,128 (17)	4,954 (76)	130 (2)	289 (5)
2017-18	7,526	1,721 (23)	5,805 (77)	लागू नहीं	लागू नहीं

* निवल पूँजीगत व्यय = कुल पूँजीगत व्यय - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ।


- वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2017-18 में राज्य द्वारा कुल उधारियों को पूर्व के मूलधन के पुनर्भुगतान एवं पूँजीगत व्यय पर उपयोग किया गया। राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ऋण उधारियों का कोई भी हिस्सा उपलब्ध नहीं था।
- 2015-16 और 2016-17 के दौरान, कुल उधारियों में से क्रमशः ₹ 528 करोड़ और ₹ 289 करोड़ की राशि का उपयोग राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए किया गया।

चार्ट-1.23: ऋण स्थिरता (अर्थात्, ऋण-स रा घ उ के बीच का अनुपात)




यह दर्शाता है कि स रा घ उ की तुलना में सरकार का ऋण अधिक गति से बढ़ रहा है।

चार्ट-1.24: ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत




यह दर्शाता है कि ब्याज भुगतान तेजी से राजस्व प्राप्तियों का उपभोग कर रहे हैं।

चार्ट-1.25: कर राजस्व बनाम ऋण पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)



यह दर्शाता है कि 10 से 21 प्रतिशत कर का उपयोग ऋण पुनर्भुगतान के लिए किया जाता है।

चार्ट-1.26: ऋण पुनर्भुगतान बनाम ऋण प्राप्तियों की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)




यह दर्शाता है कि पुराने बकाया ऋणों को चुकाने के लिए 17 से 34 प्रतिशत ऋण प्राप्तियों का उपयोग किया जाता है।

उपर्युक्त तालिका-1.27 से यह देखा गया:

- बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर में 2013-14 से 2015-16 तक लगातार वृद्धि रही। तथापि, वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान यह कम हुई है। लोक ऋण की वृद्धि दर स रा घ उ की तुलना में लगातार अधिक रही है।
- 2013-14 से 2017-18 के दौरान, लोक ऋण की औसत ब्याज दर 7.83 प्रतिशत एवं 9.67 प्रतिशत के बीच रही।
- राज्य ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान, लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए 9.08 से 12.64 प्रतिशत राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किया।
- 2013-14 से 2017-18 की अवधि में ऋण प्राप्तियों से ऋण पुनर्भुगतान की प्रतिशतता उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखाई दी। 2013-14 में, लोक ऋण प्राप्ति के 36.70 प्रतिशत का उपयोग लोक ऋण के पुनर्भुगतान के उद्देश्य से किया गया था जबकि 2017-18 में, 56.86 प्रतिशत का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया गया था।
- 2013-14 से 2017-18 के दौरान, लोक ऋण प्राप्ति के एक बड़े हिस्से (60.90 प्रतिशत और 74.59 प्रतिशत के बीच) का उपयोग पूर्व में उधार ली गई निधि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए किया जा रहा था। इसलिए, लोक ऋण प्राप्ति का केवल 25.41 प्रतिशत से 39.10 प्रतिशत ही विकास व्यय के लिए उपलब्ध था।

2013-14 से 2017-18 के दौरान लिये गये बाजार ऋण और पुनर्भुगतान संरचना चार्ट-1.27 और 1.28 में दी गई है।



1.10.1 बाजार ऋण

बाजार ऋण की स्थिति (बा ऋ)

तालिका-1.29, 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति दर्शाती है।


तालिका-1.29: राज्य सरकार के बाजार ऋणों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल को प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	वर्ष के दौरान भुगतान	31 मार्च को अन्तिम अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि (+)/कमी (-)	
					धनराशि	प्रतिशतता
2013-14	9,194.45	2,500.00	763.89	10,930.56	1,736.11	18.88
2014-15	10,930.56	2,400.00	308.85	13,021.71	2,091.15	19.13
2015-16	13,021.71	3,900.00	1,170.19	15,751.52	2,729.81	20.96
2016-17	15,751.52	5,450.00	369.23	20,832.28	5,080.76	32.26
2017-18	20,832.28	6,660.00	830.00	26,662.28	5,830.00	27.99
योग		20,910.00	3,442.16			

स्रोत: संगत वर्ष के वित्त लेखे।


उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि उत्तराखण्ड सरकार ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 20,910 करोड़ एवं ₹ 3,442.16 करोड़ का ऋण लिया और पुनर्भुगतान किया। पुनर्भुगतान राज्य सरकार के कुल ऋणों (₹ 20,910 करोड़) का 16.46 प्रतिशत था। इन ऋणों पर पुनर्भुगतान 2013-14 में 763.89 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में ₹ 830.00 करोड़ हो गया, जो 2013-14 में 9.70 प्रतिशत की औसत ब्याज दर से 2017-18 में 7.73 प्रतिशत था। उपरोक्त तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 में बाजार ऋणों में कमी आ चुकी थी। तथापि, 2015-16 में पुनः यह ₹ 3,900 करोड़ बढ़ा और चालू वर्ष के दौरान भी यही प्रवृत्ति रही। इस अवधि के दौरान प्राप्तियों में 2013-14 से 2017-18 तक लगभग 2.66 गुना वृद्धि देखी गई। नीचे दिया गया चार्ट-1.29 में 2013-14 से 2017-18 की अवधि में बाजार उधारियों की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



1.11 राजकोषीय असंतुलन

1.11.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

तीन प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड-राजस्व, राजकोषीय एवं प्रारम्भिक घाटा राज्य सरकार के वित्त में राजकोष के समस्त असन्तुलनों की सीमा को इंगित करते हैं। सरकारी लेखे में घाटा इसकी प्राप्तियों और व्यय के मध्य के अन्तराल को प्रस्तुत करता है। घाटे की प्रकृति, सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का एक सूचक है। इसके अलावा, किस तरह घाटे का वित्त पोषण किया जाता है और जुटाए गये संसाधनों को प्रयुक्त किया जाता है, यही इसके राजकोषीय स्थिति का महत्वपूर्ण सूचक है। यह खण्ड घाटों की प्रवृत्तियाँ, प्रकृति, परिमाण और वित्तपोषण के ढंग को प्रस्तुत करता है। **चार्ट-1.30** एवं **चार्ट-1.31**, 2013-14 से 2017-18 तक की अवधि में घाटे के सूचकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं।



स्रोत: स रा घ उ के आँकड़े केन्द्रीय सांख्यिकी एवं निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रदान किए गए हैं।

राजस्व घाटा: 2013-14 में उत्तराखण्ड एक आधिक्य राज्य था। तथापि, राज्य के राजस्व में 2014-15 में ₹ 917 करोड़ का राजस्व घाटा था जो 2015-16 के दौरान और खराब होकर ₹ 1,852 करोड़ हो गया। 2016-17 के दौरान, राज्य राजस्व घाटे को ₹ 383 करोड़ के अत्यंत निचले स्तर तक लाने में सक्षम था। **तथापि, चालू वर्ष के दौरान स्थिति और खराब हुई और राज्य का राजस्व घाटा ₹ 1,978 करोड़ (स रा घ उ का 0.91 प्रतिशत) था।**

राजकोषीय घाटा: वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा ₹ 2,650 करोड़ (स रा घ उ का 1.78 प्रतिशत) से बढ़कर 2014-15 के दौरान ₹ 5,826 करोड़ (स रा घ उ का 3.61 प्रतिशत), 2015-16 के दौरान ₹ 6,125 करोड़ (स रा घ उ का 3.48 प्रतिशत) हो गया फिर 2016-17 में ₹ 5,467 करोड़ (स रा घ उ का 2.79 प्रतिशत) तक कम हो गया। चालू वर्ष के दौरान राजस्व घाटा ₹ 7,935 करोड़ (स रा घ उ का 3.65 प्रतिशत) था जो चौ वि आ द्वारा निर्धारित मानक लक्ष्य (स रा घ उ का 3.25 प्रतिशत) से भी अधिक था।

प्राथमिक घाटा: 2012-13 के दौरान का प्राथमिक आधिक्य¹⁷ (₹ 489 करोड़) वर्ष 2013-14 में प्राथमिक घाटे में परिवर्तित हो गया और चालू वर्ष तक घाटा ही रहा। तथापि, प्राथमिक घाटा ₹ 3,154 करोड़ (2015-16) से घटकर वर्ष 2016-17 में ₹ 1,744 करोड़ हो गया था, चालू वर्ष में पुनः बढ़कर ₹ 3,948 करोड़ हो गया। प्राथमिक घाटे का अस्तित्व दर्शाता है कि राज्य को अपने उधार लिए गए धन पर ब्याज भुगतान करने के लिए भी धन उधार लेने की आवश्यकता होगी। इसलिए, राज्य सरकार अपनी ब्याज वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2017-18 में उसके द्वारा कुल ली गई उधार धनराशि ₹ 7,526 करोड़ में से ₹ 3,987 करोड़ उधार लेने के लिए मजबूर थी।

प्राथमिक राजस्व शेष: राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियों और उसके गैर-ब्याज राजस्व व्यय के बीच अंतर को दर्शाता है। यह इंगित करता है कि राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ किस हद तक पूंजी खाते पर व्यय को पूरा करने में सक्षम थीं। 2017-18 में, राज्य ने ₹ 2,009 करोड़ का प्राथमिक राजस्व आधिक्य दर्ज किया। यह पूँजीगत व्यय (₹ 5,914 करोड़) का 34 प्रतिशत था।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान के ₹ 47.98 करोड़ को पूँजीगत शीर्ष के अन्तर्गत एवं ₹ 419.39 करोड़ के वृहद निर्माण कार्यों को राजस्व शीर्ष में दर्शाया जो कि सरकारी लेखा नियमों के विरुद्ध था। राज्य सरकार ने ऋण-शोधन निधि में ₹ 222.91 करोड़ की कम धनराशि का योगदान किया एवं चालू वर्ष के दौरान ₹ 41.24 करोड़ के आरक्षित एवं जमा राशि पर ब्याज का कोई भी प्रावधान नहीं किया।

उपर्युक्त ने राज्य सरकार के राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित किया। राजस्व घाटा 0.05 प्रतिशतता बिन्दु से अधिक हो गया है, जबकि राजकोषीय घाटा 0.12 प्रतिशतता बिन्दु गिरा जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

¹⁷ उस धनराशि को संदर्भित करता है जो कि सरकार के कुल राजस्व से कुल व्यय के आधिक्य को अपने ऋण पर दिये गए ब्याज की राशि को सम्मिलित नहीं करते हुए प्राप्त होता है।

तालिका-1.30: राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मद	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव		कुल प्रभाव लेने से पहले अनुपात (प्रतिशत में)		कुल प्रभाव लेने के पश्चात अनुपात (प्रतिशत में)	
		अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	अतिशयोक्ति	न्यूनोक्ति	राजस्व घाटा / स रा घ उ	राजकोषीय घाटा / स रा घ उ	राजस्व घाटा / स रा घ उ	राजकोषीय घाटा / स रा घ उ
1.	राजस्व एवं पूँजीगत लेखों के मध्य गलत वर्गीकरण	419.39 ¹⁸	--	--	--	0.91	3.65	0.86	3.77
2.	सहायता अनुदान को पूँजीगत लेखा में दर्शाना	--	47.98	--	--				
3.	ऋण शोधन निधि में कम योगदान	--	222.91	--	222.91				
4.	आरक्षित एवं जमा धनराशि पर ब्याज हेतु कोई प्रावधान नहीं	--	41.24	--	41.24				
कुल (निवल) प्रभाव		107.26 (अतिशयोक्ति)		264.15 (न्यूनोक्ति)					

स्रोत: वित्त लेखे।

1.11.2 राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त-पोषण पद्धति

राजकोषीय घाटे की वित्त पोषण पद्धति में एक संरचनात्मक बदलाव हुआ जैसा कि तालिका-1.31 में परिलक्षित है।

तालिका-1.31: राजकोषीय घाटे के घटक एवं इसकी वित्त पोषण पद्धति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अ	राजकोषीय घाटे के घटक(1 से 4)	(-) 2,650	(-) 5,826	(-) 6,125	(-) 5,467	(-) 7,935
1.	राजस्व घाटा (-) / आधिक्य (+)	(+)1,105	(-) 917	(-) 1,852	(-) 383	(-) 1,978
2.	निवल पूँजीगत व्यय	(-)3,532	(-) 4,804	(-) 4,217	(-) 4,954	(-) 5,914
3.	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)223	(-) 105	(-) 56	(-) 130	(-) 43
ब	राजकोषीय घाटे की वित्त-पोषण पद्धति					
1.	निवल लोक ऋण	2,556	3,680	4,802	5,373	5,806
अ	निवल बाजार ऋण	1,736	(+) 2,091	(+) 2,730	(+) 5,081	(+) 5,830
ब	भारत सरकार से निवल ऋण	(-)16	(+) 33	(+) 66	(+) 111	(+) 74
स	एन एस एस एफ को जारी विशेष निवल प्रतिभूतियाँ	545	(+) 1,145	(+) 1,467	(-) 348	(-) 374
द	वित्तीय संस्थाओं से निवल ऋण	291	(+) 411	(+) 539	(+) 529	(+) 276
2.	निवल लोक लेखा	764	1,497	1,209	1,248	2,204
अ	निवल लघु बचत, भविष्य निधि आदि	322	(+) 420	(+) 478	(+) 413	(+) 619
ब	निवल जमा एवं अग्रिम	352	(+) 399	(+) 138	(-) 135	(+) 719
स	निवल उचन्त एवं विविध	(-)223	(+) 13	(+) 377	(+) 1,050	(+) 730
द	निवल प्रेषण	317	(+) 450	(+) 33	(-) 3	(+) 31
य	निवल आरक्षित निधि	(-) 4	(+) 215	(+) 183	(-) 77	(+) 105
3.	निवल आकस्मिकता निधि	(-)182	(-) 12	(-) 195	(+) 167	(-) 127
4.	रोकड़ शेष में कुल वृद्धि	(-)488	(+) 661	(+) 309	(-) 1,321	(+) 52

स्रोत: उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे, 2013-14 से 2017-18।

¹⁸ राज्य सरकार ने मुख्य निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की गयी ₹ 422.23 करोड़ की राशि को विभिन्न राजस्व शीर्षों के अन्तर्गत बुक किया। इसके अलावा, लघु निर्माण कार्यों और अनुरक्षण पर ₹ 1.44 करोड़ एवं ₹ 1.40 करोड़ का व्यय किया गया था तथा इसे पूँजीगत सेक्शन के अन्तर्गत बुक किया गया था।

2017-18 में राजकोषीय घाटा काफी सीमा तक बाजार की उधारियों (73 प्रतिशत), जमा और अग्रिम (9 प्रतिशत), लघु बचत एवं भविष्य निधि (8 प्रतिशत) और वित्तीय संस्थाओं से ऋण (3 प्रतिशत) द्वारा प्रबंधित किया गया था।

1.11.3 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का भाग और निवल पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिमों सहित), राज्य वित्त में घाटे की गुणवत्ता इंगित करता है। पुनः राजकोषीय घाटे के सापेक्ष राजस्व घाटे का सतत उच्च अनुपात यह भी दर्शाता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार निरंतर कम हो रहा है और ऋणों (राजकोषीय दायित्व) के अंश परिसम्पत्तियों द्वारा समर्थित नहीं हैं। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका-1.32) उस सीमा को इंगित करेगा जहाँ तक घाटा पूँजीगत लेखे में कमी के कारण रहा है जो राज्य अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिये वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.32: प्राथमिक घाटा/आधिक्य-संघटकों का विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऋणोत्तर प्राप्तियाँ *	राजस्व प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा(-)/आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा(-)/आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8=(3-4)	9=(2-7)
2013-14	17,556	17,321	14,160	3,712	278	18,150	(+)3,161	(-) 594
2014-15	20,428	20,247	18,758	4,939	151	23,848	(+) 1,670	(-) 3,420
2015-16	21,261	21,234	20,115	4,217	83	24,415	(+) 1,119	(-) 3,154
2016-17	24,924	24,889	21,549	4,954	165	26,668	(+) 3,340	(-) 1,744
2017-18	27,139	27,105	25,096	5,914	77	31,087	(+) 2,009	(-) 3,948

* लोक ऋण प्राप्तियाँ से इतर प्राप्तियाँ अर्थात् ऐसी प्राप्तियाँ जिन्हें वापस नहीं किया जाता है।

- राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियाँ में मुख्य रूप से राजस्व प्राप्तियाँ और ऋण एवं अग्रिमों की वसूली शामिल थीं जिसमें 2013-14 से 2017-18 तक 54.59 प्रतिशत वृद्धि हुई और प्राथमिक राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी।
- 2013-14 से 2015-16 के दौरान प्राथमिक राजस्व आधिक्य में गिरावट आई। पिछले वर्ष की तुलना में यह लगभग तीन गुना बढ़ा और 2016-17 के दौरान ₹ 3,340 करोड़ रहा। तथापि, चालू वर्ष के दौरान यह फिर से ₹ 1,331 करोड़ घट गया।
- 2013-14 में ₹ 594 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2014-15 में बढ़कर ₹ 3,420 करोड़ हो गया। वर्ष 2015-16 में, इसमें ₹ 266 करोड़ की मामूली कमी आई लेकिन 2016-17 के दौरान ₹ 1,410 करोड़ की कमी दिखायी दी। तथापि, चालू वर्ष के दौरान इसमें फिर से ₹ 2,204 करोड़ की पर्याप्त वृद्धि हुयी।

तालिका-1.33: राजकोषीय घाटे के घटक

(₹ करोड़ में)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटा (-) /आधिक्य (+)	(+) 1,105	(-) 917 (16)	(-) 1,852 (30)	(-) 383 (07)	(-) 1,978 (25)
निवल पूँजीगत व्यय	(-) 2,427 (92)	(-) 4,804 (82)	(-) 4,217 (69)	(-) 4,954 (97)	(-) 5,914 (75)
निवल ऋण एवं अग्रिम	(-) 223 (08)	(-) 105 (02)	(-) 56 (01)	(-) 130 (02)	(-) 43 (00)
राजकोषीय घाटा	(-) 2,650	(-) 5,826	(-) 6,125	(-) 5,467	(-) 7,935

कोष्ठक में दिये आँकड़े राजकोषीय घाटे के सापेक्ष प्रतिशतता दर्शाते हैं।

राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का अंश दर्शाता है कि चालू उपभोग के लिए किस सीमा तक उधार ली गई धनराशि का उपयोग किया गया था। वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता उच्च राजस्व घाटे के कारण खराब हो गई है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 2016-17 में 7 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 25 प्रतिशत हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि चालू व्यय का बढ़ता हुआ अनुपात परिसंपत्ति सृजन के बजाय उधार ली गयी निधियों से पूरा किया जा रहा है। राजकोषीय घाटे के सापेक्ष निवल पूँजीगत व्यय की प्रतिशतता 2016-17 में 91 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 75 प्रतिशत हो गयी। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा 45.14 प्रतिशत बढ़ा और जो 2016-17 के 2.79 प्रतिशत की तुलना में स रा घ उ का 3.65 प्रतिशत था।

1.12 राज्य वित्त पर विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन

उत्तराखण्ड में राज्य वित्त पर एकल प्रतिवेदन पर लोक लेखा समिति द्वारा 2009 से चर्चा नहीं की गई, यद्यपि प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य विधायिका को प्रस्तुत किया जाता है। तथापि, प्रतिवेदन के राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक उपायों को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.13 निष्कर्ष

2013-14 के राजस्व आधिक्य को बरकरार नहीं रखा जा सका और राज्य को पिछले चार वर्षों में राजस्व घाटा हुआ। राजस्व घाटा पिछले वर्ष के दौरान स रा घ उ का 0.20 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में स रा घ उ का 0.91 प्रतिशत हो गया। तथापि, गलत वर्गीकरण के कारण राजस्व और पूँजीगत शीर्षों के अन्तर्गत कुछ खर्चों को गलत दर्शाया गया था। इसके अलावा, राज्य ने भी सांविधिक निधियों में योगदान नहीं दिया था और ब्याज के लिए बजट प्रावधान भी नहीं किए थे। परिणामस्वरूप, राजस्व घाटा 0.05 प्रतिशतता बिन्दु अतिशयोक्त हो गया था और राजकोषीय घाटा 0.12 प्रतिशतता बिन्दु से न्यूनाशयोक्त हो गया था।

पूँजीगत व्यय ने पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 960.15 करोड़ की वृद्धि दर्ज करायी, जो राज्य सरकार द्वारा अपने ब आं में निर्धारित लक्ष्य से अधिक थी। वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान पर व्यय बढ़ने के कारण वचनबद्ध व्यय की कुल राजस्व व्यय से अनुपात में 2016-17 के 62 प्रतिशत से चालू वर्ष के

दौरान 68 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई थी। इसका प्रभाव यह हुआ कि विकास गतिविधियों के लिए सरकार के पास कम राशि उपलब्ध है।

शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य में सकल व्यय के अनुपात के रूप में व्यय सभी तीन वर्षों के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था, जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र के अन्तर्गत यह विशेष श्रेणी राज्यों के सभी तीन वर्षों के दौरान औसत से कम था।

राज्य सरकार द्वारा संचित हानि वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा सांविधिक निगमों एवं कंपनियों में भी, जिन्होंने अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया था, बजटीय सहायता एवं निवेश किया था। सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों और सहकारी समितियों में सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल लगभग नगण्य था। राज्य द्वारा विभिन्न संस्थानों, निगमों/सरकारी कंपनियों और सरकारी कर्मचारियों आदि को दिए गए ऋण और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज (प्रतिफल) केवल 0.005 प्रतिशत था, जो कि बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सात प्रतिशत के लक्ष्य के सापेक्ष था, जिसे 2009-10 तक प्राप्त किया जाना था।

राज्य का लोक ऋण पिछले वर्ष की तुलना में 16.5 प्रतिशत बढ़ा। राज्य का लोक ऋण स रा घ उ की तुलना में उच्च दर पर बढ़ा है। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान पिछले दो वर्षों में 2013-14 के दौरान 12 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 15 प्रतिशत हो गया है। 2017-18 के दौरान, लोक ऋण प्राप्ति का 68 प्रतिशत पहले उधार ली गई निधि के पुनर्भुगतान और उस पर ब्याज के भुगतान के लिए उपयोग किया जा रहा था। इसलिए, पिछले वर्ष में 34 प्रतिशत की तुलना में वर्ष के दौरान लोक ऋण की प्राप्ति का केवल 32 प्रतिशत ही विकास व्यय के लिए उपलब्ध हुआ।

2017-18 में स रा घ उ से कुल राजकोषीय दायित्वों के अनुपात में पिछले वर्ष की तुलना में 0.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 23.82 प्रतिशत पर रहा जो कि चौ वि आ द्वारा निर्धारित 22.60 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर था।

चालू वर्ष के दौरान, ₹ 7,935 करोड़ (स रा घ उ का 3.65 प्रतिशत) का राजकोषीय घाटा चौ वि आ द्वारा निर्धारित मानक लक्ष्य स रा घ उ के 3.25 प्रतिशत से ऊपर था। वर्ष के दौरान, राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता उच्च राजस्व घाटा के कारण खराब हो गई है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का योगदान 2016-17 में 7 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 25 प्रतिशत हो गया। कुल पूँजीगत व्यय का राजस्व घाटे से अनुपात का प्रतिशत 2016-17 में 91 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 75 प्रतिशत हो गया।

1.14 संस्तुतियाँ

- राज्य का स्वयं का कर राजस्व बजट अनुमानों और चौ वि आ प्रक्षेपणों से कम रहा। राज्य स्वयं के कर राजस्व के संग्रह में गिरावट के लिए योगदान करने वाले कारकों की जाँच कर सकते हैं और

संसाधन जुटाने में सुधार के लिए उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा राजकोषीय घाटे को कम करके स रा घ उ के 3.25 प्रतिशत तक लाने के लिए राजस्व व्यय को घटाया जा सकता है, जैसा कि चौ वि आ द्वारा अनुशंसित है।

- राज्य सरकार अपने पूँजीगत व्यय को बढ़ा सकती है, विशेषतः सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में, जिससे पूँजी आधार बढ़ेगा जो कि आर्थिक वृद्धि में योगदान करेगा।
- राज्य सरकार पर्याप्त उच्च लागत की उधारियों को ध्यान में रखते हुए लाभ अर्जित करने वाले राज्य सा क्षे उ में निवेशित पूँजी पर युक्तियुक्त प्रतिफल को सुनिश्चित करने के तरीकों का पता लगा सकती है।
- राज्य अपूर्ण परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि आगे कोई अतिरिक्त खर्च नहीं ना हो।
- राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र पर संसाधनों के आवंटन में वृद्धि कर सकता है ताकि इसे विशेष श्रेणी के राज्यों के औसत के बराबर लाया जा सके; तथा
- राज्य सरकार को जीपीएफ के लिए लागू दर पर ब्याज का प्रावधान करना चाहिए, जो कि लोक खाते में रखे गए विरासत शेष पर भुगतान किया जाता है।

